

**परिशिष्ट 1.1**  
**राज्य प्रोफाइल**  
**(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1 पृष्ठ 1)**

राज्य प्रोफाइल						
क. सामान्य डाटा						
क्र.सं.	विवरण				आंकड़े	
1	क्षेत्र				44,212 वर्ग कि.मी.	
2	जनसंख्या					
	क	2001 की जनगणना के अनुसार			2.11 करोड़	
	ख	2011 की जनगणना के अनुसार			2.54 करोड़	
3	जनसंख्या घनत्व <sup>1</sup> (2011) (अखिल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)				573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर	
4	गरीबी रेखा <sup>2</sup> से नीचे जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत = 21.90 प्रतिशत)				11.20 प्रतिशत	
5	साक्षरता <sup>3</sup> (2011) (अखिल भारतीय औसत = 73 प्रतिशत)				75.60 प्रतिशत	
6	शिशु मृत्यु-दर <sup>4</sup> (प्रति 1000 सजीव जन्म) (अखिल भारतीय औसत=34 प्रति 1000 सजीव जन्म)				33	
7	जन्म <sup>5</sup> पर जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत=68.3 वर्ष)				69.1 वर्ष	
8	गिनी सहकारी कारण <sup>6</sup>					
	क	ग्रामीण (अखिल भारतीय= 0.29)			0.30	
	ख	शहरी (अखिल भारतीय= 0.38)			0.36	
9	वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2017-18 <sup>7</sup>				₹ 6,08,471 करोड़	
10	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2008-09 से 2017-18)				हरियाणा	12.5 प्रतिशत
11					सामान्य श्रेणी राज्य	13.1 प्रतिशत
12	स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2008-09 से 2017-18)				अखिल भारतीय	11.5 प्रतिशत
13					हरियाणा	14.3 प्रतिशत
14	हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि (2008 से 2017)				सामान्य श्रेणी राज्य	14.5 प्रतिशत
15					हरियाणा	15 प्रतिशत
16	सामान्य श्रेणी राज्यों की जनसंख्या <sup>8</sup> वृद्धि (2008 से 2017)				11.6 प्रतिशत	
17	मानव विकास इंडेक्स <sup>9</sup>				हरियाणा (रैंक 9)	0.552
18.	(2007-08)				अखिल भारतीय	0.467
ख	वित्तीय आंकड़े					
विवरण		आंकड़े (प्रतिशत में)				
सी.ए.जी.आर.		2008-09 से 2016-17		2016-17 से 2017-18		
		सामान्य श्रेणी राज्य	हरियाणा	सामान्य श्रेणी राज्य	हरियाणा	
क	राजस्व प्राप्तियों का	15.1	14.0	11.3	19.4	
ख	स्वयं के कर राजस्व का	14.9	14.3	12.2	20.8	
ग	कर-भिन्न राजस्व का	9.5	8.4	5.9	47.1	
घ	कुल व्यय का	15.8	15.4	4.7	10.5	
ङ	पूंजीगत व्यय का	14.0	5.4	1.0	97.3	
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	14.5	14.1	6.2	6.5	
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	16.2	18.4	10.7	9.8	
ज	वेतन एवं मजदूरियों का	13.4	12.9	8.9	7.6	
झ	पेंशन का	16.2	17.0	22.9	55.2	

<sup>1</sup> जनगणना सूचना भारत 2011 अंतिम जनसंख्या कुल।

<sup>2</sup> आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 (जनवरी 2018), खण्ड-II पृष्ठ क 160-161

<sup>3</sup> आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 (जनवरी 2018), खण्ड-II पृष्ठ क 155

<sup>4</sup> आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 (जनवरी 2018), खण्ड-II पृष्ठ क 151

<sup>5</sup> आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 (जनवरी 2018), खण्ड-II पृष्ठ क 151

<sup>6</sup> [http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data\\_2312/DatabookDec2014%20106.pdf](http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data_2312/DatabookDec2014%20106.pdf).

<sup>7</sup> सांख्यिकी विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा द्वारा आपूर्ति की गई जानकारी।

<sup>8</sup> भारत तथा राज्यों के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण 2001-2026 (संशोधित दिसंबर 2006)। जनसंख्या तालिका-14 पर जनसंख्या राष्ट्रीय आयोग द्वारा गठित जनसंख्या प्रक्षेपणों पर तकनीकी ग्रुप की रिपोर्ट।

<sup>9</sup> आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 (जनवरी 2018), खण्ड-II पृष्ठ क 161

## परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ: अनुच्छेद प्रस्तावना; पृष्ठ 1)

### भाग क: सरकारी लेखाओं का ढांचा एवं स्वरूप

**सरकारी लेखे का ढांचा:** राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिक निधि, एवं (iii) लोक लेखा।

**भाग I: समेकित निधि:** इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण (मार्केट ऋण, बॉण्डस केंद्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि इत्यादि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम तथा राज्य सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भूगतान में प्राप्त सभी धन शामिल होते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रावधान किए गए प्रयोजनों के लिए तथा पद्धति में कानून के अनुसार के अतिरिक्त कोई धन इस फंड से विनियोजित नहीं किया जा सकता। व्यय की निश्चित श्रेणियां (उदाहरणार्थ-संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण पुनर्भूगतान इत्यादि) राज्य की समेकित निधि पर भार संघटित करती है (भारत व्यय) तथा विधायिका द्वारा मत के अध्यक्षीन नहीं होती। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधायिका द्वारा वोट किए जाते हैं। समेकित फंड में दो सैक्शन शामिल होते हैं: राजस्व तथा पूंजीगत (ऋण सहित)। ये आगे 'प्राप्तियां' तथा 'व्यय' के अंतर्गत श्रेणीबद्ध हैं। राजस्व प्राप्तियां सैक्शन तीन सैक्टरों अर्थात् 'कर राजस्व', 'कर भिन्न राजस्व' तथा सहायतानुदान तथा अंशदानों में बंटा हुआ है। ये तीन सैक्टर आगे सब-सैक्टरज में जैसे 'आय तथा व्यय पर कर' 'राजकोषीय सेवाएं' आदि में विभाजित हैं। पूंजीगत प्राप्तियां सैक्शन में अन्य कोई सैक्टर या सब-सैक्टर नहीं है। राजस्व व्यय सैक्शन चार सैक्टरों में विभाजित है अर्थात्, 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं' तथा 'सहायतानुदान एवं अंशदान'। राजस्व व्यय सैक्शन से ये भाग आगे उप भागों में विभाजित हैं 'जैसे राज्य के अंग', 'शिक्षा', 'खेल', 'कला तथा संस्कृति' आदि। पूंजीगत व्यय सैक्शन आठ भागों में उप विभाजित है, अर्थात् 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं', 'सहायतानुदान तथा अंशदान' 'लोक ऋण', 'ऋण तथा अग्रिम', 'अंतर्राज्यीय समायोजन' तथा 'आकस्मिक निधि को ट्रांसफर'।

**भाग II: आकस्मिक निधि:** यह निधि अग्रदाय के रूप में होती है जो राज्य विधायिका द्वारा कानून द्वारा स्थापित है तथा अप्रत्याशित व्यय, जो राज्य विधायिका द्वारा प्राधिकार के लिए लम्बित हो, को पूरा करने के लिए दिए जाने वाले अग्रिमों हेतु राज्यपाल की डिस्पोजल पर रखा जाता है फंड की प्रतिपूर्ति राज्य की समेकित निधि से संबंधित क्रियाशील मुख्य शीर्ष को व्यय द्वारा डेबिट करके की जाती है। 2017-18 के लिए हरियाणा सरकार की आकस्मिक निधि ₹ 200 करोड़ है।

**भाग III: लोक लेखा:** अन्य सभी पब्लिक धन जो सरकार द्वारा या सरकार की ओर से प्राप्त किया जाता है, जिसमें सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में काम करती है, लोक लेखा में जमा किया जाता है। पब्लिक अकाउंट में पुनर्भूगतान योग्य जैसे लघु बचतें तथा भविष्य निधियां, डिपोजिटस (ब्याज वाली तथा बिना ब्याज वाली), अग्रिम, रिजर्व फंडस (ब्याज वाले तथा बिना ब्याज वाले) प्रेषण तथा उचंत शीर्ष (जिनमें से दोनों ही ट्रांजिटरी शीर्ष हैं फाइनेल बुकिंग के लिए लंबित हैं) शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध नेट कैश बैलेंस भी पब्लिक अकाउंट में शामिल है। लोक लेखे में छः सैक्टर यानि 'लघु बचतें, भविष्य निधि आदि', 'रिजर्व फंड', 'जमा तथा अग्रिम', 'उचंत तथा विविध', 'प्रेषण' तथा 'कैश बैलेंस' शामिल हैं। ये सैक्टर आगे उप भागों में विभाजित हैं। पब्लिक अकाउंट विधायिका की वोट के अध्यक्षीन नहीं है।

### परिशिष्ट 1.2 भाग-ख: वित्त लेखाओं का विन्यास

विवरण	विन्यास
वित्त लेखे दो खंडों में प्रस्तुत किए जाते हैं। खंड-I में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का सर्टिफिकेट, वित्त लेखाओं की गाइड, 13 विवरणियां जो चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति तथा लेन-देनों पर संक्षेपित सूचना, लेखाओं पर टिप्पणियां तथा लेखाओं की टिप्पणियों पर एक परिशिष्ट शामिल होता है। खंड-II में 13 विवरणियों के विवरण नीचे दिए गए हैं:	

परिशिष्ट 1.2 भाग-ख: वित्त लेखाओं का विन्यास	
विवरणी	विन्यास
विवरणी सं. 1	<b>वित्तीय स्थिति की विवरणी:</b> यह विवरणी राज्य सरकार की परिसंपत्तियों तथा देयताओं के संचयी आंकड़े चित्रित करती है, क्योंकि वे वर्ष के अंत में विद्यमान हैं तथा गत वर्ष की वित्तीय स्थिति से तुलना किए गए अनुसार हैं।
विवरणी सं. 2	<b>प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी:</b> यह विवरणी, वर्ष के दौरान राज्य सरकार की सभी तीन भागों, जिनमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं अर्थात् समेकित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखा में सभी प्राप्तियों तथा संवितरणों का चित्रण करती है। इसके अतिरिक्त, सरकार के केश बैलेंसिज (निवेशों सहित) के वैकल्पिक चित्रण को दिखाते हुए इसमें एक परिशिष्ट शामिल है। परिशिष्ट भी सरकार की अर्थोपाय स्थिति को विस्तार से प्रकट करता है।
विवरणी सं. 3	<b>प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि):</b> यह विवरणी राज्य सरकार की राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों तथा उधारों को शामिल करती है। यह विवरणी वित्त लेखाओं के खंड-II में विस्तृत विवरणी 14, 17 तथा 18 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 4	<b>व्यय की विवरणी (समेकित निधि):</b> वित्त लेखाओं के लघु शीर्ष स्तर के सामान्य चित्रण के अतिरिक्त, यह विवरणी, गतिविधि की प्रकृति द्वारा (व्यय के उद्देश्य) व्यय का विवरण भी देती है। यह विवरणी खंड-II में विस्तृत विवरणी 15, 16, 17 तथा 18 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 5	<b>प्रगतिशील पूंजीगत व्यय की विवरणी:</b> यह विवरणी खंड-II में विस्तृत विवरणी 16 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 6	<b>उधारों तथा अन्य देयताओं की विवरणी:</b> सरकार की उधारों में इसके द्वारा उठाए गए बाजार ऋण (आंतरिक डेब्ट) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम शामिल होते हैं। अन्य देयताओं में लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि 'रिजर्व फंड' तथा 'जमा' शामिल हैं। विवरणी में ऋण की सेवा पर एक टिप्पणी भी शामिल है तथा भाग-II में विस्तृत विवरणी-17 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 7	<b>सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की विवरणी:</b> यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ऋणियों जैसे सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्त तथा अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता (सरकारी कर्मचारियों सहित) को दिए गए सभी ऋणों तथा अग्रिमों को चित्रित करती है। यह विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी-18 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 8	<b>सरकार के निवेशों की विवरणी:</b> यह विवरणी सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की साम्या में राज्य सरकार के निवेशों को चित्रित करती है। यह विवरणी खंड-II में विस्तृत विवरणी-19 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 9	<b>सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विवरणी:</b> यह विवरणी सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा उठा, गए ऋणों पर मूलधन तथा ब्याज के पुनर्भुगतान पर राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का संक्षिप्त ब्यौरा प्रदान करती है। यह विवरणी खंड-II में विस्तृत विवरणी-20 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 10	<b>सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों की विवरणी:</b> यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ग्रांट प्राप्त करने वालों जैसे सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्त तथा अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता को दिए गए सभी प्रकार के सहायता अनुदानों को चित्रित करती है। परिशिष्ट III प्राप्तकर्ता संस्थाओं के विवरण प्रस्तुत करता है।
विवरणी सं. 11	<b>दत्तमत तथा भारित व्यय की विवरणी:</b> यह विवरणी विनियोजन लेखाओं में प्रकट होने वाले सकल आंकड़ों के साथ वित्त लेखाओं में प्रकट नेट आंकड़ों के मिलान में सहायता करती है।
विवरणी सं. 12	<b>राजस्व लेखे से पृथक व्यय हेतु निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग की विवरणी:</b> यह विवरणी इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अलग किया जाना अपेक्षित है जबकि वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय राजस्व आधिक्य, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के आरंभ में नकद शेष तथा उधारों से वहन किया गया है।
विवरणी सं. 13	<b>समेकित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे के अंतर्गत शेषों का सार:</b> यह विवरणी लेखाओं की परिशुद्धता प्रदान करने में सहायता करती है। विवरणी खंड-II में विस्तृत विवरणी-14, 15, 16, 17, 18 तथा 21 के अनुरूप है।

परिशिष्ट 1.2 भाग-ख: वित्त लेखाओं का विन्यास	
विवरण	विन्यास
<b>खंड-II</b> में दो भाग शामिल हैं-भाग I में नौ विस्तृत विवरणियां तथा भाग II में 13 परिशिष्ट हैं जैसा कि नीचे दिए गए हैं:	
<b>खंड-II का भाग-I</b>	
विवरण सं. 14	<b>लघु शीर्षों द्वारा राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी:</b> यह विवरणी वित्त लेखाओं के खंड-I में सार विवरणी-3 के अनुरूप है।
विवरण सं. 15	<b>लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी:</b> यह विवरणी जो खंड-I में सार विवरणी 4 के अनुरूप है, राज्य निधि व्यय तथा केंद्रीय सहायता (केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों तथा केंद्रीय स्कीमों सहित) के अंतर्गत राज्य सरकार के राजस्व व्यय को चित्रित करती है। भारत तथा दत्तमत व्यय अलग से दर्शाए जाते हैं।
विवरण सं. 16	<b>लघु शीर्षों तथा उपशीर्षों द्वारा पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी:</b> यह विवरणी जो इस खंड के खंड-I में सार विवरणी 5 के अनुरूप है, राज्य निधि व्यय तथा केंद्रीय सहायता (केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों तथा केंद्रीय स्कीमों सहित) के अंतर्गत राज्य सरकार के पूंजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा संचयी रूप से) चित्रित करती है। भारत तथा दत्तमत व्यय अलग से दर्शाए गए हैं। महत्वपूर्ण स्कीमों के संबंध में लघु शीर्ष स्तर पर पूंजीगत व्यय के विवरण निरूपित करने के अतिरिक्त यह विवरणी उपशीर्ष स्तरों पर भी विवरण चित्रित करती है।
विवरण सं. 17	<b>उधारों तथा अन्य देयताओं की विस्तृत विवरणी:</b> इस विवरणी में जो इस खंड के भाग-I में सार विवरणी-6 के अनुरूप है, राज्य सरकार (मार्केट ऋण, बॉन्ड्स, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत फंड आदि को जारी विशेष प्रतिभूतियां) द्वारा उठा, गए सभी ऋणों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिमों के सारे विवरण शामिल हैं। यह विवरणी तीन श्रेणियों के अंतर्गत ऋणों पर सूचना प्रस्तुत करती है। (क) व्यक्तिगत ऋणों के विवरण (ख) मैच्योरिटी प्रोफाइल यानि विभिन्न वर्षों में ऋणों की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में भुगतान योग्य राशियां; तथा (ग) बकाया ऋणों की ब्याज दर प्रोफाइल।
विवरण सं. 18	<b>सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की विस्तृत विवरणी:</b> यह विवरणी खंड-I में विवरणी-7 के अनुरूप है।
विवरण सं. 19	<b>सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी:</b> यह विवरणी विवरणी 16 तथा 19 के मध्य कमियों, यदि कोई हो, के मुख्य एवं लघु शीर्ष-वार विवरण तथा साम्या-वार निवेश चित्रित करती है। यह विवरणी खंड-I में विवरणी-8 के अनुरूप है।
विवरण सं. 20	<b>सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विस्तृत विवरणी:</b> यह विवरणी सरकारी गारंटी के एनटिटी वार विवरण प्रदान करती है। यह विवरणी खंड-I में विवरणी-9 के अनुरूप है।
विवरण सं. 21	<b>आकस्मिक निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों पर विस्तृत विवरणी:</b> यह विवरणी लघु शीर्ष स्तर पर आकस्मिक निधि के अंतर्गत अप्रतिपूरित राशियों के विवरण, वर्ष के दौरान लोक लेखा लेन-देनों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अंत में बकाया शेषों को चित्रित करती है। यह विवरणी खंड-I में विवरणी-13 के अनुरूप है।
विवरण सं. 22	<b>चिन्हित शेषों पर विस्तृत विवरणी:</b> यह विवरणी रिजर्व फंडों (लोक लेखा) से निवेशों के विवरण चित्रित करती है।
<b>खंड-I- खंड-II में मुख्य केंद्रीय प्रयोजित स्कीमों तथा राज्य स्कीमों आदि के संबंध में स्कीमवार व्यय, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं, सहायता अनुदान, सबसीडियों, वेतनों सहित विभिन्न मदों पर 13 परिशिष्ट शामिल हैं।</b> ये विवरण उप-शीर्ष स्तर या नीचे (अर्थात् लघु-शीर्ष स्तर से नीचे) अकाउंट्स में प्रस्तुत है तथा इसीलिए सामान्य तौर पर वित्त लेखाओं में चित्रित नहीं किए जाते हैं। परिशिष्ट की एक विस्तृत सूची खंड-I या II में 'विषय सूची' पर प्रकट है। परिशिष्टों के साथ पठित विवरणियां राज्य सरकार के वित्तों की स्थिति का एक पूर्ण चित्र देती हैं।	

## परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ: अनुच्छेद प्रस्तावना; पृष्ठ 1)

## राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनाई गई पद्धति

राज्य सरकार द्वारा उनके राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों तथा अधिनियम के अन्तर्गत विधानसभा में प्रस्तुत की जानी अपेक्षित अन्य विवरणियों में की गई वचनबद्धताओं/प्रक्षेपणों तथा वित्तीय योगों के स्थापन हेतु इसके प्रक्षेपणों सहित चयनित वित्तीय परिवर्तों हेतु बारहवें वित्त आयोग (बा.वि.आ.) द्वारा निर्धारित मानक/सीमाएं, मुख्य वित्तीय योगों के प्रवाहों एवं पद्धति के गुणवत्ता निर्धारण हेतु प्रयोग किए जाते हैं। यह मानते हुए कि स.रा.घ.उ. राज्य की अर्थव्यवस्था के निष्पादन की उत्तम सूचक है, कर तथा कर भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व तथा वित्तीय घाटे जैसे मुख्य वित्तीय योगों, वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। स.रा.घ.उ. द्वारा निरूपित आधार के संदर्भ में उचित वित्तीय परिवर्तों हेतु उत्प्लावकता सह-दक्षताएं भी यह निर्धारित करने हेतु परिकल्पित की गई है, कि संसाधनों का संघटन, व्यय की पद्धति इत्यादि आधार में परिवर्तन की गति के साथ रखे जा रहे हैं अथवा ये वित्तीय योग स.रा.घ.उ. से अन्य घटकों द्वारा भी प्रभावित हैं।

गत पांच वर्षों हेतु स.रा.घ.उ. में प्रवाह नीचे सूचित किए गए हैं:

## चालू दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) में प्रवाह

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	3,99,268	4,36,962	4,85,824	5,45,323	6,08,471
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर	15.05	9.44	11.18	12.25	11.58

स्रोत: निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी विश्लेषण, हरियाणा

राजकोषीय योगों के प्रवाहों एवं पद्धति के निर्धारण में प्रयुक्त चयनित शब्दावली की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई हैं:

शब्दावली	गणना के आधार
पैरा मीटर की उत्प्लावकता	पैरामीटर की वृद्धि की दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य पैरा मीटर (वाई) के संबंध में पैरामीटर (एक्स) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि की दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि की दर
वृद्धि की दर (आर.ओ.जी.)	$[(\text{चालू वर्ष राशि}/\text{गत वर्ष राशि})-1] \times 100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
कुल व्यय	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान}/[(\text{गत वर्षों की राजकोषीय देयताओं की राशि} + \text{चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं})/2] \times 100$
ब्याज फैलाव	स.रा.घ.उ. वृद्धि-औसत ब्याज दर
प्रमात्रा फैलाव	ऋण स्टॉक * ब्याज फैलाव
बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	$\text{प्राप्त ब्याज} / [(\text{ऋण एवं अग्रिमों का प्रारम्भिक} + \text{अन्त शेष})/2] \times 100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियां - विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	वित्तीय घाटा - ब्याज भुगतान

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.3; पृष्ठ 9)

राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम डाटा

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>भाग-क प्राप्तियां</b>					
<b>1. राजस्व प्राप्तियां</b>	<b>38,012</b>	<b>40,799</b>	<b>47,557</b>	<b>52,497</b>	<b>62,695</b>
(i) कर राजस्व	25,567(67)	27,635(67)	30,929 (65)	34,026 (65)	41,099(66)
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	16,774(66)	18,993(69)	21,060 (68)	23,488 (69)	15,609(38)
राज्य उत्पाद शुल्क	3,697(14)	3,470(13)	4,371 (14)	4,613 (13)	4,966(12)
वाहनों पर कर	1,095(4)	1,192(4)	1,401 (5)	1,583 (5)	2,778(7)
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	3,203(13)	3,109(11)	3,191 (10)	3,283 (10)	4,193(10)
भू-राजस्व	12	15	15	16	18
माल एवं यात्रियों पर कर	498(2)	527(2)	554 (2)	595 (2)	2,317(6)
बिजली पर कर एवं शुल्क	219(1)	240(1)	257 (1)	276 (1)	306(1)
राज्य माल एवं सेवा कर	0	0	0	0	10,833(26)
अन्य कर	69	89	80	172	79
(ii) कर-भिन्न राजस्व	4,975(13)	4,613(13)	4,753 (10)	6,196 (12)	9,113(14)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	3,343(9)	3,548(9)	5,496 (12)	6,597 (12)	7,298(12)
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	4,127(11)	5,003(13)	6,379 (13)	5,678 (11)	5,185(8)
<b>2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>40</b>
<b>3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूतियां</b>	<b>262</b>	<b>273</b>	<b>328</b>	<b>973</b>	<b>6,341</b>
<b>4. कुल राजस्व एवं ऋणमुक्त पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)</b>	<b>38,284</b>	<b>41,091</b>	<b>47,915</b>	<b>53,496</b>	<b>69,076</b>
<b>5. लोक ऋण प्राप्तियां</b>	<b>17,604</b>	<b>18,859</b>	<b>37,998</b>	<b>28,170</b>	<b>21,490</b>
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)	17,263(98)	18,728(99)	37,901 (100)	28,047 (100)	21,270(99)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	0	0	79
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	341(2)	131(1)	97	123	141(1)
<b>6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)</b>	<b>55,888</b>	<b>59,950</b>	<b>85,913</b>	<b>81,666</b>	<b>90,566</b>
<b>7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63</b>	<b>80</b>	<b>27</b>
<b>8. लोक लेखे प्राप्तियां</b>	<b>26,548</b>	<b>28,064</b>	<b>29,056</b>	<b>32,108</b>	<b>33,894</b>
<b>9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)</b>	<b>82,436</b>	<b>88,014</b>	<b>1,15,032</b>	<b>1,13,854</b>	<b>1,24,487</b>
<b>भाग- ख व्यय/संवितरण</b>					
<b>10. राजस्व व्यय</b>	<b>41,887</b>	<b>49,118</b>	<b>59,236</b>	<b>68,403</b>	<b>73,257</b>
योजनागत	10,152(24)	12,760(26)	18,561 (31)	22,119 (32)	0
योजनेतर	31,735(76)	36,358(74)	40,675 (69)	46,284 (68)	0
सामान्य सेवाएं (व्याज भुगतानों सहित)	13,597(32)	16,765(34)	18,713 (32)	21,631 (32)	26,699(36)
आर्थिक सेवाएं	12,740(30)	13,088(27)	18,691 (32)	20,875 (30)	18,107(25)
सामाजिक सेवाएं	15,414(37)	19,120(39)	21,539 (36)	25,473 (37)	28,061(38)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	136(1)	145	293	424(1)	390(1)
<b>11. पूंजीगत व्यय</b>	<b>3,935</b>	<b>3,716</b>	<b>6,908</b>	<b>6,863</b>	<b>13,538</b>
योजनागत	5,067(129)	4,837(130)	6,624 (96)	6,559 (96)	0
योजनेतर	(-1,132)	(-1,121)	284 (4)	304 (4)	0
	(-29)	(-30)			
सामान्य सेवाएं	282(7)	291(8)	460 (7)	399 (6)	481(4)
आर्थिक सेवाएं	1,829(46)	1,527(41)	4,908 (71)	4,877 (71)	9,884(73)
सामाजिक सेवाएं	1,824(46)	1,898(51)	1,540 (22)	1,587 (23)	3,173(23)
<b>12. ऋणों एवं अग्रिमों का वितरण</b>	<b>776</b>	<b>843</b>	<b>13,250</b>	<b>4,515</b>	<b>1,395</b>
<b>13. कुल (10+11+12)</b>	<b>46,598</b>	<b>53,677</b>	<b>79,394</b>	<b>79,781</b>	<b>88,190</b>
<b>14. लोक ऋण के पुनर्भुगतान</b>	<b>7,968</b>	<b>8,227</b>	<b>7,215</b>	<b>5,276</b>	<b>6,339</b>
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)	7,800(98)	8,073(98)	7,039 (98)	5,090 (96)	6,074(96)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	79(1)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	168(2)	154(2)	176 (2)	186 (4)	186(3)
<b>15. आकस्मिक निधि के विनियोजन</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)</b>	<b>54,566</b>	<b>61,904</b>	<b>86,609</b>	<b>85,057</b>	<b>94,529</b>
<b>17. आकस्मिक निधि संवितरण</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63</b>	<b>80</b>	<b>27</b>
<b>18. लोक लेखे संवितरण</b>	<b>24,560</b>	<b>25,609</b>	<b>28,650</b>	<b>29,276</b>	<b>31,171</b>
<b>19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)</b>	<b>79,126</b>	<b>87,513</b>	<b>1,15,322</b>	<b>1,14,413</b>	<b>1,25,727</b>

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>भाग ग-घाटा/आधिक्य</b>					
20. राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)(1-10)	(-) 3,875	(-) 8,319	(-)11,679	(-)15,906	(-)10,562
21. राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+)(4-13)	(-) 8,314	(-) 12,586	(-)31,479	(-)26,285	(-)19,114
22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+) (21+23)	(-) 2,464	(-) 5,658	(-)23,195	(-)15,743	(-)7,153
<b>भाग-घ अन्य डाटा</b>					
23. ब्याज भगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	5,850	6,928	8,284	10,542	11,961
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	4,540	6,106	10,766	12,647	9,844
25. अर्थापय अग्रिम (अ.अ.)/प्राप्त ओवर ड्राफ्ट (दिनों में)	109 (4)	-	0	0	79(2)
26. अ.अ./ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज	0.03	-	0	0	0.02
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) <sup>10</sup>	3,99,268	4,36,962	4,85,184	5,45,323	6,08,471
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	76,263	88,446	1,20,718	1,46,371	1,64,076
29. ब्याज तथा गारंटी फीस सहित बकाया गारंटियां (वर्ष के अन्त में)	27,309	30,389	16,886	8,260	14,187
30. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	40	14	18	14	25
31. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी (₹ करोड़ में)	398	62.19	98.65	199.17	167.14
<b>भाग-ई राजकोषीय स्थिति सूचक</b>					
<b>I संसाधन संघटन</b>					
स्वयं का कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.064	0.063	0.064	0.062	0.068
स्वयं का कर-भिन्न राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.012	0.011	0.010	0.011	0.015
केन्द्रीय अन्तरण/स.रा.घ.उ.	0.008	0.008	0.011	0.012	0.012
<b>II व्यय प्रबन्ध</b>					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	0.117	0.123	0.163	0.146	0.145
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.226	1.316	1.669	1.520	1.407
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.899	0.915	0.746	0.857	0.831
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.370	0.392	0.291	0.339	0.354
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.313	0.272	0.297	0.323	0.317
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.084	0.069	0.087	0.086	0.154
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.078	0.064	0.081	0.081	0.148
<b>III राजकोषीय असंतुलों का प्रबन्ध</b>					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(-) 0.010	(-) 0.019	(-) 0.024	(-) 0.029	(-) 0.017
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	(-) 0.021	(-) 0.029	(-) 0.065	(-) 0.048	(-) 0.031
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(-) 0.006	(-) 0.013	(-) 0.048	(-) 0.029	(-) 0.012
राजस्व घाटा/वित्तीय घाटा	0.466	0.661	0.371	0.605	0.553
प्राथमिक राजस्व शेष/स.रा.घ.उ.	(-) 0.016	(-) 0.025	(-) 0.034	(-) 0.037	(-) 0.022
<b>IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्ध</b>					
राजकोषीय देयताएं/स.रा.घ.उ.	0.19	0.20	0.25	0.27	0.27
वित्तीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियां	2.006	2.168	2.538	2.788	2.617
<b>V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक</b>					
निवेश पर रिटर्न	6.49	5.80	15.89	5.89	7.53
वित्तीय परिसम्पतियां/देयताएं	0.74	0.68	0.67	0.62	0.60

<sup>10</sup> आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा द्वारा यथा संचारित वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. आंकड़े।

**परिशिष्ट 1.5 भाग-क**  
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.1; पृष्ठ 3 एवं 35)  
**वर्ष 2017-18 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार**

(₹ करोड़ में)

	प्राप्तियां		संवितरण			
	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
<b>भाग क: राजस्व</b>						
<b>I. राजस्व प्राप्तियां</b>	<b>52,496.82</b>		<b>62,694.87</b>	<b>I. राजस्व व्यय</b>	<b>68,403.43</b>	<b>73,257.36</b>
कर राजस्व	34,025.68	41,099.38		<b>सामान्य सेवाएं</b>	<b>21,630.79</b>	<b>26,698.68</b>
कर भिन्न राजस्व	6,196.09	9,112.85		<b>सामाजिक सेवाएं</b>	<b>25,473.49</b>	<b>28,061.34</b>
संघीय करों का राज्य का हिस्सा	6,597.47	7,297.52		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	11,060.40	11,782.92
नॉन प्लान अनुदान	3,078.49	-		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,800.23	3,074.26
राज्य प्लान स्कीमों हेतु अनुदान	2,327.52	-		जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	4,516.60	5,770.38
केन्द्रीय एवं केन्द्रीय प्रायोजित प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	271.57	-		सूचना एवं प्रसारण	130.61	129.99
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों	-	2,326.62		अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	564.69	396.31
वित्त आयोग अनुदान	-	1,316.68		श्रम एवं श्रम कल्याण	326.36	517.30
राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान	-	1,541.82		समाज कल्याण एवं पोषण	6,066.25	6,381.69
				अन्य	8.35	8.49
				<b>आर्थिक सेवाएं</b>	<b>20,875.21</b>	<b>18,106.82</b>
				कृषि एवं सहायक गतिविधियां	2,519.40	2,734.71
				ग्रामीण विकास	2,892.07	2,980.84
				सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,411.72	1,463.09
				ऊर्जा	10,514.98	7,631.52
				उद्योग एवं खनिज	349.80	317.69
				परिवहन	2,819.84	2,902.44
				विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	26.69	26.53
				अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	340.71	50.00
				सहायता अनुदान तथा अंशदान	423.94	390.52
<b>II. भाग ख को अग्रणीत राजस्व घाटा</b>	<b>15,906.61</b>		<b>10,562.49</b>	<b>II. भाग ख को अग्रणीत राजस्व आधिक्य</b>		
<b>योग भाग क</b>	<b>68,403.43</b>		<b>73,257.36</b>		<b>68,403.43</b>	<b>73,257.36</b>
<b>भाग ख- अन्य</b>						
<b>III. स्थायी अग्रिमों एवं नकद शेष निवेश सहित आरम्भिक नकद शेष</b>	<b>6,217.73</b>		<b>5,658.26</b>	<b>III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरम्भिक ओवरड्राफ्ट</b>		
<b>IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियां</b>	<b>26.27</b>		<b>39.87</b>	<b>IV. पूंजीगत परिव्यय</b>	<b>6,863.10</b>	<b>13,537.90</b>
				<b>सामान्य सेवाएं</b>	<b>399.37</b>	<b>480.90</b>
				<b>सामाजिक सेवाएं</b>	<b>1,586.41</b>	<b>3,172.70</b>
				शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	141.75	403.65
				स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	244.19	302.22
				जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	1,009.90	2,222.42
				सूचना एवं प्रसारण	-	49.38
				अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3.07	3.50
				समाज कल्याण एवं पोषण	79.39	65.40
				अन्य	108.11	126.13



प्राप्तियां			संवितरण					
	2016-17		2017-18			2016-17		2017-18
						<b>आर्थिक सेवाएं</b>	<b>4,877.32</b>	<b>9,884.30</b>
						कृषि एवं सहायक गतिविधियां	413.08	1,350.81
						सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	926.31	973.55
						ऊर्जा	1,894.73	5,454.44
						उद्योग एवं खनिज	2.20	2.24
						परिवहन	1,588.40	1,782.31
						विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	14.00	-
						सामान्य आर्थिक सेवाएं	38.60	320.95
<b>V. ऋणों एवं अग्रिमों की वसुलियां</b>	<b>973.23</b>		<b>6,340.93</b>			<b>V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम</b>	<b>4,514.91</b>	<b>1,394.89</b>
बिजली परियोजनाओं से	68.09	6,007.50				बिजली परियोजनाओं हेतु	3,647.08	887.48
सरकारी कर्मचारियों से	866.64	93.19				सरकारी कर्मचारियों को	68.93	121.07
अन्यों से	38.50	240.24				अन्यों को	798.90	386.34
<b>VI राजस्व आधिक्य नीचे लाया गया</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>VI. राजस्व घाटा नीचे लाया गया</b>	<b>15,906.61</b>	<b>10,562.49</b>
<b>VII. लोक ऋण प्राप्तियां</b>	<b>28,169.52</b>		<b>21,489.76</b>			<b>VII. लोक ऋण का पुनर्भूगतान</b>	<b>5,275.84</b>	<b>6,338.85</b>
बाह्य ऋण						बाह्य ऋण		
अर्थापय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अन्य आन्तरिक ऋण	28,046.26	21,269.27				अर्थापय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अन्य आन्तरिक ऋण	5,089.52	6,073.77
अर्थापय अग्रिमों के अधीन निवल संपादन केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	-	79.48				अर्थापय अग्रिमों के अन्तर्गत निवल संपादन केन्द्रीय सरकार को ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भूगतान	--	79.48
<b>VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन</b>						<b>VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन</b>	<b>80.14</b>	<b>26.77</b>
<b>IX. आकस्मिक निधि से अंतरित राशि</b>	<b>80.14</b>		<b>26.77</b>			<b>IX. आकस्मिक निधि से व्यय</b>		
<b>X. लोक लेखा प्राप्तियां</b>	<b>32,107.64</b>		<b>33,894.25</b>			<b>X. लोक लेखा संवितरण</b>	<b>29,275.67</b>	<b>31,171.48</b>
लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि.	3,034.08	3,342.50				लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि.	1,919.20	2,116.18
आरक्षण निधियां	1,593.64	973.29				आरक्षण निधियां	48.91	153.65
उचन्त एवं विविध प्रेषण	848.36	900.54				उचन्त एवं विविध प्रेषण	731.54	852.20
निक्षेप एवं अग्रिम	7,134.20	8,098.05				डिपोजिट्स एवं अग्रिम	7,076.54	8,123.14
<b>XI. रिजर्व बैंक आफ इंडिया से संवरण ओवरड्राफ्ट</b>	<b>19,497.36</b>	<b>20,579.87</b>				<b>XI. समाप्ति पर नकद शेष</b>	<b>19,499.48</b>	<b>19,926.31</b>
						कोषालयों तथा स्थानीय प्रेषणों में नकद	0.54	0.54
						रिजर्व बैंक के साथ निक्षेप	426.19	(-)490.11
						स्थायी अग्रिमों इत्यादि सहित	3.04	2.93
						विभागीय नकद शेष		
						नकद शेष निवेश	2,554.85	2,084.53
						उद्विष्ट निवेश	2,673.64	2,819.57
<b>योग भाग-ख</b>	<b>67,574.53</b>		<b>67,449.84</b>			<b>योग</b>	<b>67,574.53</b>	<b>67,449.84</b>

**परिशिष्ट 1.5 भाग ख**  
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9.2; पृष्ठ 35)  
**31 मार्च 2018 को राज्य सरकार की संक्षेपित वित्तीय स्थिति**

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2017 को	देयताएं	31 मार्च 2018 को
1,22,616.87	<b>आन्तरिक ऋण</b>	1,37,812.37
	81,177.82 ब्याज युक्त बाजार ऋण	97,017.33
	2.28 ब्याज रहित बाजार ऋण	2.26
	0.25 जीवन बीमा निगम से ऋण	0.15
	29,132.29 अन्य संस्थाओं इत्यादि से ऋण	29,442.54
	12,304.23 केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	11,350.09
1,985.86	<b>केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम</b>	1,941.27
	1984-85 से पूर्व के ऋण	
	43.51 योजनेतर ऋण	41.87
	1,942.35 स्टेट प्लान स्कीमों हेतु ऋण	1,758.39
	विधाई स्कीमों सहित राज्यों के अन्य ऋण	141.01
200.00	<b>आकस्मिक निधि</b>	200.00
13,321.20	लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि	14,547.52
6,413.48	डिपोजिटस	7,067.03
4,707.44	आरक्षण निधियां	5,527.08
-	उचंत तथा विविध शेष	
181.86	प्रेषण शेष	156.77
1,49,426.71		1,67,252.04
<b>31 मार्च 2017 को</b>	<b>परिसम्पतियां</b>	<b>31 मार्च 2018 को</b>
6,5860.86	<b>स्थायी परिसम्पतियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय</b>	79,358.89
	11,371.42 कम्पनियों, निगमों इत्यादि के शेयरों में निवेश	17,374.35
	54,489.44 अन्य पूंजीगत परिव्यय	61,984.54
21,035.98	<b>ऋण एवं अग्रिम</b>	16,089.94
	16,809.50 बिजली परियोजनाओं हेतु ऋण	11,689.47
	4,174.68 अन्य विकास ऋण	4,320.79
	51.80 सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	79.68
0.72	<b>अग्रिम</b>	0.72
59.15	<b>उचन्त एवं विविध शेष</b>	10.80
-	<b>प्रेषण शेष</b>	-
5,658.26	<b>नकद</b>	4,417.46
	0.54 कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	0.54
	426.19 रिजर्व बैंक में डिपोजिटस	(-)490.11
	2.92 विभागीय नकद शेष	2.81
	0.12 स्थायी अग्रिम	0.12
	2,554.85 नकद शेष निवेश	2,084.53
	2,673.64 आरक्षण निधि निवेश	2,819.57
56,811.74	<b>सरकारी लेखाओं पर घाटा</b>	67,374.23
	15,906.61 (i) चालू वर्ष का राजस्व आधिक्य/घाटा	10,562.49
	40,905.13 (ii) गत वर्ष तक संचित घाटा	56,811.74
1,49,426.71	<b>कुल</b>	1,67,252.04

**परिशिष्ट 1.3 तथा 1.4 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी:** आगे विवरणियों में संक्षिप्त लेखे, वित्त लेखाओं में टिप्पणियों एवं व्याख्याओं के साथ पढ़े जाने हैं। सरकारी लेखे मुख्यतः नकद आधार पर होने के कारण, सरकारी लेखे पर घाटा, जैसा कि **परिशिष्ट 1.5** में दर्शाया गया है, नकद आधार पर स्थिति सूचित करता है जो वाणिज्यिक लेखांकन में अर्जन आधार के विरुद्ध है। परिणामतः, देय अथवा प्राप्य मदें अथवा स्टाक आंकड़ों में हास अथवा भिन्नता जैसे मदें लेखे में लेखाबद्ध नहीं होती। उचन्त एवं विविध शेषों में, जारी किए गए परन्तु भुगतान नहीं किए गए चैक, राज्य की ओर से किए गए भुगतान तथा अन्य लम्बित समायोजन इत्यादि सम्मिलित हैं। लेखाओं में दर्शाए गए तथा "भारतीय रिजर्व बैंक में निक्षेप" के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च 2018 को सूचित किए गए आंकड़ों में ₹ 35.38 करोड़ (निवल जमा) का अंतर था। अंतर मिलान अधीन था (अगस्त 2018)।

## परिशिष्ट 1.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.2; पृष्ठ 5)

वर्ष 2017-18 के लिए चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी (म.अ.रा.नी.वि.) तथा वास्तविकों के अन्तर्गत निर्धारण/प्रक्षेपणों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

विवरण	चौ.वि.आ. द्वारा निर्धारण	म.अ.रा.नी.वि. में प्रक्षेपण	वास्तविक
स्वयं का कर राजस्व	57,315	43,339.74	41,099
स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	4,544	10,081.72	9,113
स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	61,859	53,421.46	50,212
कुल राजस्व व्यय	56,909	79,935.84	73,257
वेतन	-	20,034.48	18,632
ब्याज भुगतान	10,499	11,257.19	11,961
पेंशन	5,990	6,600.22	8,783
सब्सिडी-विद्युत	-	6,230.20	7,624
राजस्व सरप्लस (+)/घाटा (-)	(+) 4,950	(-)11,124.96	(-) 10,562
राजकोषीय घाटा (स.रा.घ.उ. का प्रतिशत)	3.25 प्रतिशत	2.84 प्रतिशत	3.14 प्रतिशत
बकाया ऋण (स.रा.घ.उ. का प्रतिशत)	20.45 प्रतिशत	22.93 प्रतिशत (₹ 1,41,854 करोड़)	26.97 प्रतिशत

परिशिष्ट 1.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.3; पृष्ठ 31)

वर्ष, जिसके लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था, में हानियों में चल रहे सांविधिक निगमों एवं सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति

क्र. सं.	सरकारी कम्पनियां	निवेश (2016-17 तक)	निवेश (2017-18 के दौरान)	निवेश (2017-18 तक)	संचित हानि	लेखा वर्ष
		(₹ करोड़ में)				
1.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	39.43	3.44	42.87	12.76	2013-14
2.	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (नलकूप) निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	10.89	-	10.89	354.28	2016-17
3.	हरियाणा विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड	2,859.86	13.14	2,873.00	279.88	2016-17
4.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2,717.87	2,895.88	5,613.75	16,078.07	2016-17
5.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2,065.37	2,561.29	4,626.66	13,951.74	2016-17
6.	हरियाणा वित्तीय निगम	201.98	0.03	202.01	109.06	2016-17
7.	हरियाणा मिनरल्ज लिमिटेड	0.24	-	0.24	7.55	2016-17
8.	हरियाणा यमुना कोल कंपनी लिमिटेड	0.01	-	0.01	0.33	2016-17
9.	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	2.54	-	2.54	122.76	2016-17
10.	हरियाणा मॉस रेपिड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, चण्डीगढ़	0.51	-	0.51	0.04	2016-17
11.	हरियाणा कॉन्कास्ट लिमिटेड	-	-	-	27.18	1997-98
12.	हरियाणा चिकित्सा सेवाएं लिमिटेड	5.00	-	5.00	1.50	2014-15
13.	हरियाणा महिला विकास निगम	15.51	-	15.51	1.60	2012-13
<b>कुल</b>		<b>7,919.21</b>	<b>5,473.78</b>	<b>13,392.99</b>	<b>30,946.75</b>	

## परिशिष्ट 1.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.4; पृष्ठ 32)

विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों की सारांशित वित्तीय विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	गत खाते के अनुसार नियोजित पूंजी	साधन सरकारी पूंजी	हास मूल्य पर ब्लाक परिसम्पत्तियां	वर्ष के दौरान किया गया हास प्रावधान	टर्नओवर	निवल लाभ/हानि	पूंजी पर ब्याज	कुल रिटर्न (9+10)	पूंजी पर रिटर्न प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	कृषि विभाग (बीज डिपो स्कीम)	1988-89	-	-	-	-	0.03	(-) 0.01	-	(-) 0.01	-
2	कृषि विभाग (कीटनाशियों का क्रय एवं वितरण)	1986-87	0.82	1.68	-	-	1.67	0.13	-	0.13	7.74
3	मुद्रण एवं लेखन (राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम)	2007-08	17.97	21.59	0.09	0.01	7.24	1.74	1.43	3.17	14.68
4	खाद्य एवं आपूर्ति (अनाज आपूर्ति स्कीम)	2015-16	6,908.27	6,772.51	-	-	7,056.08	(-) 263.84	207.76	(-) 56.08	-
5	परिवहन विभाग हरियाणा रोडवेज	2011-12	855.22	815.04	528.10	0.29	792.57	(-) 228.46	28.00	(-) 200.46	-
कुल			7,782.28	7,610.82	528.19	0.30	7,857.59	(-) 490.44	237.19	(-) 253.25	-

परिशिष्ट 1.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.5; पृष्ठ 33)

कार्यान्वयनाधीन सार्वजनिक निजी साझेदारी मूलभूत संरचना परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विभाग/ एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी./ बी.ओ.टी.)	प्रदानगी की तारीख	पूर्णता की संभावित तारीख/स्थिति
1.	मुंडका से बहादुरगढ़ तक मेट्रो का विस्तार	एच.एम.एस. सी.एल.	2,028.96 (हरियाणा का हिस्सा ₹ 787.96 करोड़)		फरवरी 2013	वाणिज्यिक संचालन की तिथि 24 जून 2018
2.	झज्जर पॉवर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट	एच.वी.पी. एन.एल.	382.00	डी.बी.एफ.ओ.टी.	-	12 मार्च 2012, प्रोजेक्ट पूर्ण हो चुका है।
3.	सिकंदरपुर स्टेशन से एन.एच.-8 गुडगांव तक मेट्रो लिंक	एच.एम.आर. टी.एल.एल.	1,088.00	बी.ओ.टी.	-	14 नवंबर 2013, प्रोजेक्ट पूर्ण हो चुका है।
4.	सिकंदरपुर से सैक्टर-56 गुडगांव तक मेट्रो लिंक	एच.एम.आर. टी.एल.एल.	2,143.00	डी.बी.एफ.ओ.टी.	-	31 मार्च 2017, प्रोजेक्ट पूर्ण हो चुका है।
5.	कुण्डली-मानेसर-पलवल (के.एम.पी.) एक्सप्रेस-वे का निर्माण	एच.एस.आई. आई.डी.सी.	1,863.00	बी.ओ.टी. (वार्षिकी)	अगस्त 2016	फरवरी 2019. परियोजना का 91.7 प्रतिशत काम पूरा हो गया
6.	हरियाणा राज्य में एकीकृत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के विकास के लिए 14 परियोजनाएं	शहरी स्थानीय निकाय	1,627.62	बी.ओ.ओ.टी.	--	14 परियोजनाओं में से दो परियोजनाएं कार्यान्वयन के तहत और सितंबर 2019 में पूरा होने की संभावना है। एक परियोजना के लिए बोली मूल्यांकन किया गया है और परियोजना जल्द ही दी जाएगी। अगले तीन महीनों में परियोजनाओं के संबंध में निविदाएं आमंत्रित। जनवरी 2018 में चार परियोजनाओं में निविदाएं आमंत्रित की गईं और प्रत्येक परियोजना में एकल बोली प्राप्त की गई। पुनः टेंडरिंग पर निर्णय अनुमोदन के लिए लंबित है।
7.	रेडियोलॉजिकल सर्विसिज	स्वास्थ्य	शून्य	डी.एफ.ओ. एंड एम.	जिला अस्पतालों के लिए जुलाई 2014	चार जिला अस्पताल में सीटी और एमआरआई कार्यात्मक और नौ जिले में केवल सीटी स्कैन कार्यात्मक है।
8.	हीमोडायलिसिस सर्विसिज	स्वास्थ्य	शून्य	डी.एफ.ओ. एंड एम.	14 जिला अस्पतालों के लिए दिसंबर 2015	10 जिला अस्पतालों में सेवाएं शुरू की जा रही हैं।
9.	कैथ लैब सर्विसिज	स्वास्थ्य	शून्य	डी.एफ.ओ. एंड एम.	4 जिला अस्पतालों के लिए मार्च 2016	सभी चार जिला अस्पतालों में कार्यात्मक।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विभाग/ एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी./ बी.ओ.टी.)	प्रदानगी की तारीख	पूर्णता की संभावित तारीख/स्थिति
10.	हरियाणा राज्य में फिरोजपुर झिरका बीवन रोड़ (0.00 से 14.28 कि.मी.) के पेवड सोल्डर सहित 2 लेनिंग का विकास	पी.डब्ल्यू.डी. (भवन व सड़क)	94.00	डी.बी.एफ.ओ.टी. (टोल) 23.06.2016	--	पूरा कर लिया है
11.	1396 सरकारी आई.टी.आईज का उन्नयन	औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा	130.00	--	2007 से 2012	नए अनुमोदित आई.डी.पी. (इंस्टीट्यूट डिवेलपमेंट प्लान 2018-19) के अनुसार 2018-19
12.	मनोरंजन पार्क गुडगांव का निर्माण	एच.एस.आई. आई.डी.सी.	230.00	संयुक्त उद्यम	02 जून 2000	
13.	गुडगांव, फरीदाबाद तथा बल्लभगढ़ सोहाना रोड़ की मरम्मत (लम्बाई 66.185 किलोमीटर)	पी.डब्ल्यू.डी. (भवन व सड़क)	180.00	बी.ओ.टी.	--	परियोजना परिचालन चरण में है
कुल			9,766.58			

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 52)

2017-18 के दौरान प्रावधान के बिना किए गए व्यय का ब्यौरा

क्र. स.	व्यय का मुख्य शीर्ष/लघु/उप-शीर्ष	प्रावधान के बिना व्यय की राशि (₹ करोड़ में)
<b>अनुदान संख्या 6-वित्त (भारित)</b>		
1	2049-ब्याज भुगतान-60-अन्य दायित्व पर ब्याज, 101-जमा पर ब्याज, 97-एन.एच.ए.आई. द्वारा अधिगृहीत भूमि की ओर जमा पर ब्याज	0.66
2	2049-ब्याज भुगतान-60-अन्य दायित्व पर ब्याज, 101-जमा पर ब्याज, 98-रेलवे मंत्रालय द्वारा अधिगृहीत भूमि की ओर जमा पर ब्याज	13.22
3	2049-ब्याज भुगतान-60-अन्य दायित्व पर ब्याज, 701-विविध, 96-पेंशनरी लाभ आदि के देरी भुगतान पर ब्याज	2.23
<b>अनुदान संख्या 8-भवन एवं सड़क</b>		
4	2216-आवास-052-मशीनरी एवं उपकरण, 2059-लोक निर्माण कार्य को हस्तांतरित 99-मशीनरी एवं उपकरण प्रभार	0.22
<b>अनुदान संख्या 45-राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम</b>		
5	7610-सरकारी कर्मचारी आदि को ऋण-201-गृह निर्माण अग्रिम 99-अखिल भारतीय सेवा अधिकारी आई.ए.ए.एस. अधिकारियों के अलावा सरकारी कर्मचारी को गृह निर्माण अग्रिम, 99-विवेकपूर्ण कोटा के अलावा अन्य अग्रिम	0.06
6	7610-सरकारी सेवकों आदि को ऋण-800-अन्य अग्रिम, 97-विवाह उत्सव के लिए अग्रिम	0.57
<b>कुल</b>		<b>16.96</b>



## परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.3; पृष्ठ 52)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जहां प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ 100 करोड़ से अधिक थी, की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	पूरक	कुल	वास्तविक	बचत/आधिक्य	अभ्यर्षण
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>							
1	4-राजस्व	1,189.31	120.30	1,309.61	1,098.03	(-) 211.58	337.86
2	8-भवन एवं सड़कें	1,397.05	36.25	1,433.30	1,136.98	(-) 296.32	286.36
3	9-शिक्षा	13,414.09	95.87	13,509.96	11,164.25	(-) 2,345.71	2,352.16
4	11-खेल एवं युवा कल्याण	456.84	0.70	457.54	246.34	(-) 211.20	210.00
5	13-स्वास्थ्य	3,399.43	108.81	3,508.24	3,074.17	(-) 434.07	426.59
6	15-स्थानीय शासन	3,869.64	1,572.05	5,441.69	3,978.76	(-) 1,462.93	1,462.93
7	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	351.54	68.21	419.75	297.64	(-) 122.11	122.56
8	19-एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यकों का कल्याण	709.97	43.97	753.94	396.31	(-) 357.63	357.64
9	20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	4,864.50	272.65	5,137.15	4,910.14	(-) 227.01	226.91
10	21-महिला एवं बाल विकास	1,074.84	4.92	1,079.76	847.50	(-) 232.26	231.46
11	23-खाद्य एवं आपूर्ति	577.48	0	577.48	266.28	(-) 311.20	310.62
12	24-सिंचाई	1,910.16	12.27	1,922.43	1,402.80	(-) 519.63	168.24
13	25-उद्योग	363.56	0	363.56	129.17	(-) 234.39	234.08
14	27-कृषि	1,927.32	0	1,927.32	1,278.88	(-) 648.44	633.52
15	30-वन एवं वन्यजीवन	456.12	0	456.12	313.91	(-) 142.21	138.54
16	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	4,166.64	387.21	4,553.85	3,360.17	(-) 1,193.68	1,193.08
17	34-परिवहन	2,284.47	0	2,284.47	2,007.09	(-) 277.38	278.37
18	36-गृह	3,866.06	252.78	4,118.84	3,600.88	(-) 517.96	516.86
19	38-जन-स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1,941.66	0	1,941.66	1,703.65	(-) 238.01	233.64
20	40-एनर्जी एवं पावर	10,254.00	320.64	10,574.64	7,652.48	(-) 2,922.16	2,922.10
21	42-न्याय प्रशासन	548.53	125.92	674.45	534.44	(-) 140.01	128.79
	<b>कुल</b>	<b>59,023.21</b>	<b>3,422.55</b>	<b>62,445.76</b>	<b>49,399.87</b>	<b>(-) 13,045.89</b>	<b>12,772.31</b>
<b>पूँजीगत (दत्तमत)</b>							
22	7-आयोजना एवं सांख्यिकी	415.00	0	415.00	304.24	(-) 110.76	110.76
23	8-भवन एवं सड़कें	3,484.31	272.31	3,756.62	2,602.27	(-) 1,154.35	1,158.07
24	9-शिक्षा	100.00	0	100.00	0	(-) 100.00	100.00
25	13-स्वास्थ्य	516.60	68.05	584.65	169.49	(-) 415.16	415.16
26	14-शहरी विकास	1,000.00	500.00	1,500.00	1,000.00	(-) 500.00	500.00
27	21-महिला एवं बाल विकास	172.41	0	172.41	61.54	(-) 110.87	112.60
28	23-खाद्य एवं आपूर्ति	9,846.51	0	9,846.51	9,098.06	(-) 748.45	748.45
29	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	1200	0	1,200.00	0	(-) 1,200.00	1,200.00
30	38-जन-स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1,443.18	0	1,443.18	1,169.20	(-) 273.98	360.94
31	40-एनर्जी एवं पावर	1,605.34	3,994.93	5,600.27	5,454.44	(-) 145.83	145.83
32	45-ऋण एवं अग्रिम	1,326.07	277.77	1,603.84	1,394.89	(-) 208.95	319.53
	<b>कुल</b>	<b>21,109.42</b>	<b>5,113.06</b>	<b>26,222.48</b>	<b>21,254.13</b>	<b>(-) 4,968.35</b>	<b>5,171.34</b>
<b>पूँजीगत (भारित)</b>							
33	लोक ऋण भारित	9,944.97	0	9,944.97	6,338.85	(-) 3,606.12	3,606.19
	<b>कुल</b>	<b>9,944.97</b>	<b>0.00</b>	<b>9,944.97</b>	<b>6,338.85</b>	<b>(-) 3,606.12</b>	<b>3,606.19</b>
	<b>सकल योग</b>	<b>90,077.60</b>	<b>8,535.61</b>	<b>98,613.21</b>	<b>76,992.85</b>	<b>(-) 21,620.36</b>	<b>21,549.84</b>

**परिशिष्ट 2.3**

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.5; पृष्ठ 55)

उन मामलों के विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक	प्रावधानों में से बचत
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>					
1	4-राजस्व	1,189.31	120.30	1,098.03	(-) 211.58
2	5-आबकारी एवं कराधान	245.26	16.50	195.88	(-) 65.88
3	8-भवन एवं सड़कें	1,397.05	36.25	1,136.98	(-) 296.32
4	9-शिक्षा	13,414.09	95.87	11,164.25	(-) 2,345.71
5	11-खेल एवं युवा कल्याण	456.84	0.70	246.34	(-) 211.20
6	13-स्वास्थ्य	3,399.43	108.81	3,074.17	(-) 434.07
7	14-शहरी विकास	103.94	0.90	50.89	(-) 53.95
8	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	351.54	68.21	297.64	(-) 122.11
9	19-एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यकों का कल्याण	709.97	43.97	396.31	(-) 357.63
10	21-महिला एवं बाल विकास	1,074.84	4.92	847.50	(-) 232.26
11	22-पूर्व सैनिकों का कल्याण	122.94	7.59	111.70	(-) 18.83
12	24-सिंचाई	1,910.16	12.27	1,402.80	(-) 519.63
13	28-पशुपालन एवं डेरी विकास	731.72	24.50	667.39	(-) 88.83
14	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	4,166.64	387.21	3,360.17	(-) 1,193.68
15	36-गृह	3,866.06	252.78	3,600.88	(-) 517.96
16	37-चुनाव	49.47	22.44	33.76	(-) 38.15
17	39-सूचना एवं प्रचार	163.54	0.50	134.49	(-) 29.55
18	40-एनर्जी एवं पावर	10,254.00	320.64	7,652.48	(-) 2,922.16
19	42-न्याय प्रशासन	548.53	125.92	534.44	(-) 140.01
20	43-जेलें	233.31	24.50	207.44	(-) 50.37
	<b>कुल</b>	<b>44,388.64</b>	<b>1,674.78</b>	<b>36,213.54</b>	<b>(-) 9,849.88</b>
<b>पूंजीगत (दत्तमत)</b>					
21	8-भवन एवं सड़कें	3,484.31	272.31	2,602.27	(-) 1,154.35
22	13-स्वास्थ्य	516.60	68.05	169.49	(-) 415.16
23	14-शहरी विकास	1,000.00	500.00	1,000.00	(-) 500.00
24	36-गृह	255.00	53.00	225.85	(-) 82.15
	<b>कुल</b>	<b>5,255.91</b>	<b>893.36</b>	<b>3,997.61</b>	<b>(-) 2,151.66</b>
	<b>सकल योग</b>	<b>49,644.55</b>	<b>2568.14</b>	<b>40,211.15</b>	<b>(-) 12,001.54</b>

उन मामलों के विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अत्यधिक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक	बचत
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>					
1	2-राज्यपाल और मंत्रिपरिषद	130.07	28.76	155.80	(-) 3.03
2	3-सामान्य प्रशासन	276.00	24.70	280.17	(-) 20.53
3	15-स्थानीय सरकार	3869.64	1572.05	3978.76	(-) 1462.93
4	17-रोजगार	78.79	156.10	178.37	(-) 56.52
5	20-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	4864.50	272.65	4910.14	(-) 227.01
6	26-खदान और भूविज्ञान	55.90	11.02	64.22	(-) 2.70
7	33-सहकारिता	226.22	111.20	328.26	(-) 9.16
8	41-इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई.टी.	125.57	1.48	126.97	(-) 0.07
<b>राजस्व (भारित)</b>					
9	2-राज्यपाल और मंत्रिपरिषद	15.47	2.18	16.96	(-) 0.70
10	42-न्याय प्रशासन	122.02	6.54	126.74	(-) 1.82
<b>पूंजीगत (दत्तमत)</b>					
11	33-सहकारिता	128.71	206.87	290.36	(-) 45.22
12	39-सूचना एवं प्रचार	40.00	10.00	49.38	(-) 0.62
13	40-ऊर्जा एवं विद्युत	1605.34	3994.93	5454.44	(-) 145.83
14	45-ऋण एवं अग्रिम	1326.07	277.77	1394.89	(-) 208.95
	<b>कुल</b>	<b>12864.30</b>	<b>6676.25</b>	<b>17355.46</b>	<b>(-) 2185.09</b>

उन मामलों के विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अपर्याप्त सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक	आधिक्य
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>					
1	6-वित्त	6679.34	1793.40	8848.34	375.6
<b>राजस्व (भारित)</b>					
2	6- वित्त	11277.19	624.37	11975.44	73.88
<b>पूंजीगत (दत्तमत)</b>					
3	24-सिंचाई	764.17	60.65	915.94	91.12
	<b>कुल</b>	<b>18720.70</b>	<b>2478.42</b>	<b>21739.72</b>	<b>540.60</b>

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.6; पृष्ठ 56)

प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक की निधियों के अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
1.	4	राजस्व	2030-स्टॉम्प एवं पंजीकरण 02-गैर-न्यायिक स्टॉम्प 102-स्टॉम्प की बिक्री पर खर्च 99-कर्मचारियों की जांच	(ओ)2.66 (आर) (-)2.55 0.11	1.76	1.65
2.			2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 02-बाढ़, चक्रवात आदि 282-जन स्वास्थ्य 99-डिवाटरिंग ऑपरेशन	(ओ)5.00 (आर) (-) 4.98 0.02	1.35	1.33
3.			2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि 101-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि 98-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत क्षमता निर्माण के लिए अनुदान-सहायता (एस.डी.आर.एफ.)	(ओ)5.50 (आर) (-) 5.37 0.13	2.64	2.51
4.			2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि 101-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि 99-राज्य योगदान	(ओ)339.00 (एस) 100.00 (आर) (-) 16.28 422.72	500.62	77.90
5.			2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 91-ओलावृष्टि/शीत जल/धुंध राहत	(ओ)60.50 (एस) 15.00 (आर) (-) 39.84 35.66	68.34	32.68
6.			2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 96-कीट अटैक लैंडस्लाइड/क्लाउड विस्फोट आदि के लिए नकद अनुदान	(ओ)10.00 (आर) (-)8.00 2.00	12.10	10.10
7.	5	आबकारी एवं कराधान	2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर 001-निदेशन एवं प्रशासन 98-जिला स्टॉफ	(ओ)51.85 (एस) 0.36 (आर) 1.32 53.53	51.69	(-)1.84
8.			2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर 101-संग्रह शुल्क 99-फील्ड स्टॉफ	(ओ)76.02 (एस) 5.02 (आर) (-)11.90 69.14	65.69	(-)3.45
9.	6	वित्त	2049-ब्याज भुगतान 03-लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि पर ब्याज 104-लघु भविष्य निधि पर ब्याज 98-ए.आई.एस. (सीएच.) पर ब्याज	(ओ)1.68 (आर) (-) 1.38 0.30	3.12	2.82

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
10.	6	वित्त	2049-ब्याज भुगतान 03-लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि पर ब्याज 104-लघु भविष्य निधि पर ब्याज 99-राज्य भविष्य निधि पर ब्याज	(ओ)1071.40 (आर) (-) 71.40 1000.00	1065.41	65.41
11.			2054-खजाना और लेखा प्रशासन 098-स्थानीय निधि लेखापरीक्षा 99-मुख्यालय कर्मचारी 98-स्थापना व्यय	(ओ)26.28 (आर)(-)0.30 25.98	23.97	(-)2.01
12.	8	भवन एवं सड़कें	2059-लोक निर्माण कार्य 80-सामान्य 001-निदेशन एवं प्रशासन 96-क्रियान्वयन	(ओ)397.26 (एस) 1.21 (आर) (-)82.26 316.21	310.51	(-)5.70
13.			2059-लोक निर्माण कार्य 80-सामान्य 053-रखरखाव एवं मरम्मत 99-रखरखाव एवं मरम्मत	(ओ)77.00 (एस) 10.80 (आर) (-)0.81 86.99	89.25	2.26
14.			2216-आवास 05-सामान्य पूल आवास 053-रखरखाव एवं मरम्मत 99-अन्य रखरखाव व्यय 88-सामान्य रखरखाव एवं मरम्मत	(ओ)16.51 (एस) 4.00 (आर) (-)4.41 16.10	20.65	4.55
15.			3054-सड़कें और पुल 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क कार्य 51-एन.ए.	(ओ)50.05 (आर)(-) 0.05 50.00	45.84	(-)4.16
16.			3054-सड़कें और पुल 04-जिला और अन्य सड़कें 337-सड़क कार्य 98-ग्रामीण सड़कें	(ओ)510.05 (आर) (-) 58.91 451.14	449.36	(-)1.78
17.			4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 01-कार्यालय भवन 051-निर्माण 99-जिला प्रशासन	(ओ)150.00 (आर) (-) 108.33 41.67	53.63	11.96
18.			4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य भवन 051-निर्माण 96-जेलें	(ओ)55.00 (आर) (-) 3.47 51.53	52.83	1.30
19.			4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01-सामान्य शिक्षा 201-प्राथमिक शिक्षा 99-स्कूल भवन का निर्माण	(ओ)25.00 (आर) (-) 0.08 24.92	-	(-) 24.92
20.			4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01-सामान्य शिक्षा 202-माध्यमिक शिक्षा 99-माध्यमिक विद्यालय भवन	(ओ)130.00 (एस) 56.00 (आर) (-) 67.75 118.25	111.71	(-)6.54

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
21.	8	भवन एवं सड़कें	4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01-सामान्य शिक्षा 203-विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा 99-कॉलेज भवन	(ओ)300.00 (आर) (-) 77.81 222.19	204.44	(-)17.75
22.			4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 02-तकनीकी शिक्षा 104-पॉलिटैक्निक 99-पॉलिटैक्निक भवन	(ओ)30.00 (आर) (-) 6.98 23.02	20.97	(-)2.05
23.			4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 04-कला और संस्कृति 106-संग्रहालय 99-भवन (पुरातत्व)	(ओ)20.00 (आर) 2.48 22.48	20.80	(-)1.68
24.			4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01-सरकारी आवासीय भवन 106-सामान्य पूल आवास 97-जेले	(ओ)25.00 (आर) (-) 12.77 12.23	5.96	(-) 6.27
25.			4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 800-अन्य व्यय 94-औद्योगिक प्रशिक्षण के विकास के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण	(ओ)30.00 (एस)5.00 (आर) 9.36 44.36	45.48	1.12
26.			5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 03 - राज्य राजमार्ग 337-सड़क कार्य 87-सी.आर.एफ. के अंतर्गत सड़कों का निर्माण सुदृढीकरण/चौड़ीकरण और उन्नयन	(ओ)200.00 (आर) (-) 130.09 69.91	74.04	4.12
27.			5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 03 - राज्य राजमार्ग 337-सड़क कार्य 88-हरियाणा राज्य में सड़क का निर्माण 99-राज्य योजना के लिए सड़कों का निर्माण सुदृढीकरण/चौड़ीकरण और उन्नयन	(ओ)110.00 (एस) 20.00 (आर) (-) 34.38 95.62	101.62	6.00
28.			5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 03 - राज्य राजमार्ग 337-सड़क कार्य 98-ग्रामीण सड़कें 99-राज्य योजना के लिए सड़कों एवं बाईपास का निर्माण सुदृढीकरण/चौड़ीकरण और उन्नयन	(ओ)750.00 (आर) (-) 67.80 682.20	720.46	38.26
29.			5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 80 -सामान्य 800-अन्य व्यय 99-अनुसंधान (भारित)	(ओ)30.00 (आर) (-) 19.06 10.94	16.49	5.55

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
30.	9	शिक्षा	2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा 101-सरकारी प्राथमिक विद्यालय 88-प्राथमिक शिक्षा कक्षाओं I से V की स्थापना	(ओ)2469.76 (आर) (-) 20.31 2449.45	2454.45	5.00
31.			2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा 101-सरकारी प्राथमिक विद्यालय 88-स्थापना व्यय	(ओ)2604.28 (आर)(-)385.09 2219.19	2220.88	1.69
32.	13	स्वास्थ्य	2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 01-शहरी स्वास्थ्य सेवा एलोपैथी 110-अस्पताल और डिस्पेंसरी 49-शहरी अस्पताल और डिस्पेंसरी का सुदृढीकरण	(ओ)305.16 (एस) 20.00 (आर) 65.47 390.63	389.01	(-)1.62
33.			2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा एलोपैथी 103-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 91-पी.एच.सी. की निरंतरता	(ओ)217.67 (आर) (-) 34.86 182.81	181.34	(-)1.47
34.			2211-परिवार कल्याण 101-ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं 98-उप-केन्द्र	(ओ)170.20 (आर) (-) 54.96 115.24	113.88	(-)1.36
35.	24	सिंचाई	2700-मुख्य सिंचाई 01-बहु प्रयोजन नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 89-विशेष राजस्व	(ओ)23.42 (आर) (-)3.81 19.62	0.91	(-)18.71
36.			2700-मुख्य सिंचाई 01-बहु प्रयोजन नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 91-कार्यकारी अभियंता	(ओ)90.51 (आर) (-)15.06 75.45	4.17	(-)71.28
37.			2700-मुख्य सिंचाई 01-बहु प्रयोजन नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 92-अधीक्षक अभियंता	(ओ)2.77 (आर) (-)0.64 2.13	0.15	(-)1.98
38.			2700-मुख्य सिंचाई 02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 89-विशेष राजस्व	(ओ)47.41 (आर) (-)7.47 39.94	3.99	(-)35.95
39.			2700-मुख्य सिंचाई 02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 91-कार्यकारी अभियंता	(ओ)352.08 (आर) (-)59.76 292.32	29.05	(-)263.27
40.			2700-मुख्य सिंचाई 02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 92-अधीक्षक अभियंता	(ओ)23.93 (आर) (-)6.87 17.06	1.27	(-)15.79
41.			2700-मुख्य सिंचाई 02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 101-रखरखाव एवं मरम्मत 98-अन्य रखरखाव व्यय	(ओ)40.00 (आर) 0.50 40.50	41.73	1.23

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
42.	24	सिंचाई	2700-मुख्य सिंचाई 02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 800-अन्य व्यय 99-ब्याज	(ओ)139.35 (आर) 10.65 150.00	152.69	2.69
43.			2700-मुख्य सिंचाई 18-गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 001-निदेशन एवं प्रशासन 91-कार्यकारी अभियंता	(ओ)48.34 (आर) (-)6.14 42.20	15.17	(-)27.03
44.			2700-मुख्य सिंचाई 18-गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 001-निदेशन एवं प्रशासन 92-अधीक्षक अभियंता	(ओ)5.00 (आर) (-)1.86 3.14	0.70	(-)2.44
45.			2700-मुख्य सिंचाई 18-गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 001-निदेशन एवं प्रशासन 93-मुख्य अभियंता	(ओ)6.00 (आर) (-)1.39 4.61	1.67	(-)2.94
46.			2700-मुख्य सिंचाई 18-गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 101-रखरखाव एवं मरम्मतस 98-अन्य रखरखाव कार्य	(ओ)11.00 (आर) 1.50 12.50	14.21	1.71
47.			2700-मुख्य सिंचाई 80-सामान्य 001-निदेशन एवं प्रशासन 93-मुख्य अभियंता	(ओ)37.72 (आर) (-)6.27 31.45	8.71	(-)22.74
48.			4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 13-नहर प्रणाली की लाईनिंग का आधुनिकीकरण 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99-नहर नेटवर्क का पुनर्वास -राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या में वाटर कोर्सिस के पुनर्वास में सुधार	(ओ)94.00 (आर) (-)33.93 60.07	58.87	(-)1.20
49.			4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 15-नलों की लाईनिंग 800-अन्य व्यय 98-बी.एम.एल. की बहाली क्षमता	(ओ)7.00 (आर) (-)2.52 4.48	2.69	(-)1.79
50.			4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 16-मौजूदा चैनल/ड्रेनेज सिस्टम का पुनर्वास 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99-राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या में वाटर कोर्सिस के निर्माण कार्यों और पुनर्वास में सुधार	(ओ)35.00 (आर) (-)21.40 13.60	14.94	1.34



क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
51.			4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों में सुधार 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिए आर.आई.डी.एफ. (नाबार्ड) के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों में सुधार	(ओ)49.50 (एस)20.00 (आर) (-)2.05 67.45	62.15	(-)5.30
52.	24	सिंचाई	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 98-अदालत के आदेश के अंतर्गत उन्नत भूमि मुआवजे का भुगतान	(ओ)70.00 (आर) (-)13.83 56.17	57.61	1.44
53.			4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय 01-बाढ़ नियंत्रण 201-ड्रेनेज और बाढ़ नियंत्रण परियोजना 98-शहरी तूफान, जल ड्रेनेज कार्य	(ओ)20.00 (आर) 8.97 28.97	31.21	2.24
54.	27	कृषि	2401-फसल पालन 109-विस्तार और किसान प्रशिक्षण 80-राष्ट्रीय विकास योजना के लिए स्कीम	(ओ)400.00 (आर) (-)212.35 187.65	190.17	2.52
55.			2402-मृदा और जल संरक्षण 102-मृदा संरक्षण 86-राज्य में नमकीन मिट्टी और जलप्रबंधित भूमि के पुनर्वास के लिए पायलट परियोजना की योजना 99-सामान्य योजना	(ओ)4.50 (आर) (-)1.65 2.85	1.44	(-)1.41
56.			2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा 01-फसल पालन 277-शिक्षा 99-हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को सहायतानुदान	(ओ)148.00 (आर) (-)3.32 144.68	130.18	(-)14.50
57.	30	वन एवं वन्य जीवन	2406-वानिकी और वन्यजीवन 01-वानिकी 001-निर्देशन एवं प्रशासन 98-सर्कल/डिवीजनल स्टॉफ	(ओ)95.04 (आर) (-)16.83 78.21	75.59	(-)2.62
58.	32	ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम 06-स्वरोजगार कार्यक्रम 101-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 99-एस.जी.एस.वाई. सहित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम./आजीविका) के रूप में नाम दिया गया 99-सामान्य योजना	(ओ)15.00 (आर) 23.92 38.92	40.41	1.49
59.			2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम 06-स्वरोजगार कार्यक्रम 800-अन्य व्यय 97-डी.आर.डी.ए. प्रशासन	(ओ)30.00 (एस)35.00 (आर) (-)23.70 41.30	39.80	(-)1.50

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
60.			2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास कार्यक्रम 001-निदेशन एवं प्रशासन 98-समुदायिक विकास 96-जिला और ब्लॉक स्टॉफ	(ओ)143.29 (आर)(-)13.01 130.28	133.08	2.80
61.	32	ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 196-जिला परिषद (जिला स्तर पंचायत) को सहायता 99-जिला परिषद के खाते के रखरखाव के लिए योजना पी.आर.आई. के निर्वाचित सदस्य और जिला परिषद स्टॉफ की वेतन के लिए मानदंड के भुगतान की योजना के रूप में नाम दिया गया	(ओ)66.94 (एस)1.97 (आर) 6.81 75.72	73.04	(-) 2.68
62.	34	परिवहन	3055-सड़क परिवहन 201-हरियाणा रोडवेज 98-बी-संचालन	(ओ)1687.70 (आर) (-)177.17 1510.53	1512.19	1.66
63.	36	गृह	2055-पुलिस 109-जिला पुलिस 99-जिला पुलिस बल	(ओ)2894.42 (एस)208.61 (आर) (-)490.58 2612.45	2607.74	(-)4.71
64.			2055-पुलिस 115-पुलिस बल का आधुनिकीकरण 99-उपकरण की खरीद	(ओ)37.98 (आर) (-)20.51 17.47	22.72	5.25
65.			2055-पुलिस 116-फॉरेंसिक विज्ञान 99-फॉरेंसिक विज्ञान-प्रयोगशाला कर्मचारी	(ओ)18.66 (आर) (-)4.67 13.99	12.28	(-)1.71
66.	38	जन स्वास्थ्य और जलापूर्ति	2215-जलापूर्ति और स्वच्छता 01-जलापूर्ति 001-निदेशन एवं प्रशासन 96-कार्यकारी अभियंता और उनकी स्थापना-नियमित स्थायी मैकेनिकल स्टॉफ	(ओ)620.21 (आर)(-) 112.56 507.65	502.93	(-)4.72
67.			4215-पूँजीगत परिव्यय पर जलापूर्ति प्रशिक्षण और स्वच्छता 01-जलापूर्ति 99-शहरी जलापूर्ति 99-बढ़ोतरी जलापूर्ति	(ओ)250.00 (आर) (-) 86.99 163.01	250.01	87.00
68.	42	न्याय प्रशासन	2014-न्याय प्रशासन 105-सिविल और सत्र न्यायालय 99-जिला और सत्र न्यायाधीशों	(ओ)195.88 (एस)103.26 (आर)(-) 86.60 212.54	210.71	(-)1.83
69.			2014-न्याय प्रशासन 114-कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता 98-अभियोजन पक्ष निदेशक 98-स्थापना व्यय	(ओ)72.42 (एस)2.51 (आर)(-) 7.39 67.54	66.53	(-)1.01
70.			2014-न्याय प्रशासन 114-कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता 99-वकील सामान्य 98-स्थापना व्यय	(ओ)39.75 (आर)(-)0.72 39.03	31.11	(-)7.92

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
71.	45	राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	6801-ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण 205-ट्रान्समिशन और वितरण 98-हरियाणा विद्युत प्रसार निगम लिमिटेड के लिए ऋण	(ओ)683.15 (एस)169.79 (आर) (-)200.32 652.62	887.48	234.86
72.			6801-ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण 800-बिजली बोर्ड के लिए अन्य ऋण 98-आर.आई.डी.एफ. योजनाओं के अंतर्गत नाबार्ड से एच.पी.जी.सी.एल. को ऋण	(ओ)240.00 (आर) (-) 54.16 185.84	0	185.84
73.			7610-सरकारी नौकर आदि के लिए ऋण 201-गृह निर्माण अग्रिम 98-मंत्रियों के लिए गृह निर्माण अग्रिम, उपमंत्री, राज्य मंत्री, प्रेसीडिंग अधिकारी और राज्य विधानसभा	(ओ)20.00 (आर) (-) 16.85 3.15	64.64	61.49
74.			7610-सरकारी नौकर आदि के लिए ऋण 800-अन्य अग्रिम 98-महोत्सव अग्रिम	(ओ)10.00 (आर) (-) 1.94 8.06	11.40	3.34
75.			7610-सरकारी नौकर आदि के लिए ऋण 800-अन्य अग्रिम 99-खाद्य अनाज की खरीद के लिए अग्रिम	(ओ)65.00 (आर) (-)17.84 47.16	43.27	(-)3.89
<b>कुल</b>				<b>17,008.98</b>	<b>16,908.90</b>	<b>(-) 787.36</b> <b>(+) 687.27</b>

सार	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
विनियोजन पर अतिरिक्त व्यय (+)	34	(+) 687.28
विनियोजन में से बचत (-)	41	(-) 787.36
<b>कुल</b>	<b>75</b>	

₹ 10 करोड़ से अधिक परन्तु ₹ 25 करोड़ से कम के आधिक्य के मामले	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
क्र.सं. 6 तथा 17	2	22.06
₹ 10 करोड़ से अधिक परन्तु ₹ 25 करोड़ से कम की बचत के मामले		
क्र.सं. 19, 21, 35, 40, 47 तथा 56	6	114.41
<b>कुल</b>	<b>8</b>	

₹ 25 करोड़ से अधिक के आधिक्य के मामले	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
क्र.सं. 4, 5, 10, 28, 67, 71 तथा 73	7	597.60
₹ 25 करोड़ से अधिक के बचत के मामले		
क्र.सं. 36, 38, 39, 43 तथा 72	5	583.37
<b>कुल</b>	<b>12</b>	

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.7; पृष्ठ 57)

मार्च 2018 की समाप्ति पर ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मूल	पूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें (+)/ आधिक्य (-)	अभ्यर्पित राशि
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>							
1	3-सामान्य प्रशासन	276.00	24.70	300.70	280.17	(-) 20.53	19.79
2	5-आबकारी एवं कराधान	245.26	16.50	261.76	195.88	(-) 65.88	59.67
3	8-भवन एवं सड़कें	1397.05	36.25	1433.30	1136.98	(-) 296.32	286.36
4	10-तकनीकी शिक्षा	437.84	0.00	437.84	345.23	(-) 92.61	91.94
5	11-खेल एवं युवा कल्याण	456.84	0.70	457.54	246.34	(-) 211.20	210.00
6	13-स्वास्थ्य	3399.43	108.81	3508.24	3074.17	(-) 434.07	426.59
7	14-शहरी विकास	103.94	0.90	104.84	50.89	(-) 53.95	52.14
8	16-श्रम	78.79	156.10	234.89	178.37	(-) 56.52	56.32
9	20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	4864.50	272.65	5137.15	4910.14	(-) 227.01	226.91
10	21-महिला एवं बाल विकास	1074.84	4.92	1079.76	847.50	(-) 232.26	231.46
11	23-खाद्य एवं आपूर्ति	577.48	0.00	577.48	266.28	(-) 311.20	310.62
12	24-सिंचाई	1910.16	12.27	1922.43	1402.80	(-) 519.63	168.24
13	25-उद्योग	363.56	0.00	363.56	129.17	(-) 234.39	234.08
14	27-कृषि	1927.32	0.00	1927.32	1278.88	(-) 648.44	633.52
15	30-वन एवं वन्यजीवन	456.12	0.00	456.12	313.91	(-) 142.21	138.54
16	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	4166.64	387.21	4553.85	3360.17	(-) 1193.68	1193.08
17	36-गृह	3866.06	252.78	4118.84	3600.88	(-) 517.96	516.86
18	37-चुनाव	49.47	22.44	71.91	33.76	(-) 38.15	38.00
19	38-जन-स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1941.66	0.00	1941.66	1703.65	(-) 238.01	233.64
20	39-सूचना एवं प्रचार	163.54	0.50	164.04	134.49	(-) 29.55	29.47
21	40-एनर्जी एवं पावर	10254.00	320.64	10574.64	7652.48	(-) 2922.16	2922.10
22	42-न्याय प्रशासन	548.53	125.92	674.45	534.44	(-) 140.01	128.79
23	44-प्रिटिंग एवं स्टेशनरी	40.11	0.00	40.11	28.07	(-) 12.04	11.57
	<b>कुल</b>	<b>38599.14</b>	<b>1743.29</b>	<b>40342.43</b>	<b>31704.65</b>	<b>(-) 8637.78</b>	<b>8219.69</b>
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>							
1	4-राजस्व	1189.31	120.30	1309.61	1098.03	(-) 211.58	337.86
2	7-आयोजना एवं सांख्यिकी	40.17	0.48	40.65	29.89	(-) 10.76	10.82
3	9-शिक्षा	13414.09	95.87	13509.96	11164.25	(-) 2345.71	2352.16
4	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	351.54	68.21	419.75	297.64	(-) 122.11	122.56
5	19-एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यकों का कल्याण	709.97	43.97	753.94	396.31	(-) 357.63	357.64
6	22-पूर्व सैनिकों का कल्याण	122.94	7.59	130.53	111.70	(-) 18.83	19.03
7	28-पशुपालन एवं डेरी विकास	731.72	24.50	756.22	667.39	(-) 88.83	89.50
8	34-परिवहन	2284.47	0.00	2284.47	2007.09	(-) 277.38	278.37
<b>पूंजीगत (दत्तमत)</b>							
9	8-भवन एवं सड़कें	3484.31	272.31	3756.62	2602.27	(-) 1154.35	1158.07
10	21-महिला एवं बाल विकास	172.41	0.00	172.41	61.54	(-) 110.87	112.60
11	38-जन-स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1443.18	0.00	1443.18	1169.20	(-) 273.98	360.94
12	45-ऋण एवं अग्रिम	1326.07	277.77	1603.84	1394.89	(-) 208.95	319.53
<b>पूंजीगत (भारित)</b>							
13	8-भवन एवं सड़कें	30.00	0.00	30.00	16.49	(-) 13.51	19.06
14	24-सिंचाई	70.00	0.00	70.00	57.61	(-) 12.39	13.83
15	लोक ऋण भारित	9944.97	0.00	9944.97	6338.85	(-) 3606.12	3606.19
	<b>कुल</b>	<b>35315.15</b>	<b>911.00</b>	<b>36226.15</b>	<b>27413.15</b>	<b>(-) 8813.00</b>	<b>9158.16</b>

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मूल	पूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें (+)/ आधिक्य (-)	अभ्यर्पित राशि
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>							
1	6-वित्त	6679.34	1793.40	8472.74	8848.34	375.60	11.99
<b>राजस्व (भारित)</b>							
2	6-वित्त	11277.19	624.37	11901.56	11975.44	73.88	10.25
<b>पूँजीगत (दत्तमत)</b>							
3	24-सिंचाई	764.17	60.65	824.82	915.94	91.12	278.19
	<b>कुल</b>	<b>18720.70</b>	<b>2478.43</b>	<b>21199.13</b>	<b>21739.72</b>	<b>540.59</b>	<b>300.43</b>
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>							
1	15-स्थानीय शासन	3869.64	1572.05	5441.69	3978.76	(-) 1462.93	1462.93
2	29-मछली पालन	87.92	0.00	87.92	45.31	(-) 42.61	42.61
3	43-जेले	233.31	24.50	257.81	207.44	(-) 50.37	50.37
<b>पूँजीगत (दत्तमत)</b>							
4	8-भवन एवं सड़कें 7-आयोजना एवं सांख्यिकी	415.00	0.00	415.00	304.24	(-) 110.76	110.76
5	9-शिक्षा	100.00	0.00	100.00	0.00	(-) 100.00	100.00
6	11-खेल एवं युवा कल्याण	50.00	0.00	50.00	34.95	(-) 15.05	15.05
7	13-स्वास्थ्य	516.60	68.05	584.65	169.49	(-) 415.16	415.16
8	14-शहरी विकास	1000.00	500.00	1500.00	1000.00	(-) 500.00	500.00
9	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	38.86	0.00	38.86	24.56	(-) 14.30	14.30
10	19-एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यकों का कल्याण	14.98	0.00	14.98	3.50	(-) 11.48	11.48
11	20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	12.92	0.00	12.92	0.42	(-) 12.50	12.50
12	23-खाद्य एवं आपूर्ति	9846.51	0.00	9846.51	9098.06	(-) 748.45	748.45
13	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	1200.00	0.00	1200.00	0.00	(-) 1200.00	1200.00
14	22-सहकारिता	128.71	206.87	335.58	290.36	(-) 45.22	45.22
15	34-परिवहन	272.36	0.00	272.36	226.72	(-) 45.64	45.64
16	35-पर्यटन	67.20	0.00	67.20	16.72	(-) 50.48	50.48
17	36-गृह	255.00	53.00	308.00	225.85	(-) 82.15	82.15
18	40-एनर्जी एवं पावर	1605.34	3994.93	5600.27	5454.44	(-) 145.83	145.83
	<b>कुल</b>	<b>19714.35</b>	<b>6419.40</b>	<b>26133.75</b>	<b>21080.82</b>	<b>(-) 5052.93</b>	<b>5052.93</b>
59	सकल योग	112349.34	11552.12	123901.46	101938.34	540.60 (-) 22503.71	22731.21

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.8; पृष्ठ 57)

वर्ष की अन्तिम तिमाही/माह में व्यय का वेग दर्शाने वाले ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2018 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1	02-राज्यपाल तथा मंत्री परिषद	2013-मंत्री परिषद	155.80	85.74	55.03	61.37	39.39
2	04-राजस्व	2705-कमांड एरिया डिवेलपमेंट	53.20	29.26	55.00	15.96	30.00
3	05-वित्त	2075-विविध सामान्य सेवाएं	14.17	14.17	100.00	14.17	100.00
4	07-आयोजना एवं सांख्यिकी	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	304.24	178.34	58.62	138.15	45.41
5	08-भवन एवं सड़क	3054-सड़कें और पुल	933.83	518.43	55.52	424.14	45.42
6		2216-आवास	37.99	22.09	58.15	17.02	44.80
7	11-खेल और युवा कल्याण	4202-शिक्षा खेल कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	34.95	25.95	74.25	24.95	71.39
8	21-महिला और बाल विकास	4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	61.54	47.21	76.71	28.73	46.69
9	24-सिंचाई	2701-मध्यम सिंचाई	215.44	192.24	89.23	186.86	86.73
10		4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	372.18	259.25	69.66	220.86	59.34
11		4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	199.62	104.60	52.40	93.26	46.72
12	26-खदान तथा भू-विज्ञान	2853-अलोह खनन तथा धातुकर्मीय उद्योग	64.21	32.15	50.07	16.65	25.93

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2018 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
13	28-पशुपालन एवं डेरी विकास	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	14.09	14.09	100.00	0.12	0.85
14	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	2505-ग्रामीण रोजगार	211.07	150.69	71.39	100.80	47.76
15	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	3604-स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और सुपुर्दगी	390.52	260.03	66.59	159.40	40.82
16		2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	139.14	110.98	79.76	75.35	54.15
17	33-सहकारिता	4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	289.12	284.24	98.31	76.51	26.46
18	37-चुनाव	2015-चुनाव	33.76	18.00	53.32	12.44	36.85
19	39-सूचना और प्रचार	4220-सूचना और प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	49.38	49.38	100.00	0.00	-
20	40-एनर्जी एवं पावर	2810-नई और अक्षय ऊर्जा	28.46	16.44	57.77	15.57	54.71
21		2801-ऊर्जा	7603.06	3967.00	52.18	2000.38	26.31
<b>कुल</b>			<b>11205.77</b>	<b>6380.28</b>	<b>56.94</b>	<b>3682.69</b>	<b>32.86</b>

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.2; पृष्ठ 58)

भुगतान के समर्थन में वाउचरों को प्रस्तुत न करने के खजानावार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	खजाने का नाम	वाउचरों की संख्या	राशि
1.	अंबाला कैंट	40	0.36
2.	भिवानी	105	0.77
3.	चण्डीगढ़	2	0.01
4.	फरीदाबाद	37	0.39
5.	फतेहाबाद	2	0.00 <sup>1</sup>
6.	गुरुग्राम	27	1.69
7.	हिसार	7	0.07
8.	जगाधरी	29	0.33
9.	झज्जर	6	0.02
10.	जींद	5	0.02
11.	कैथल	5	0.02
12.	करनाल	106	1.72
13.	कुरुक्षेत्र	5	0.08
14.	नारनौल	41	0.15
15.	नूंह	3	0.19
16.	पानीपत	18	0.19
17.	पंचकूला	26	0.07
18.	रेवाड़ी	23	0.33
19.	रोहतक	13	0.08
20.	सिरसा	13	0.22
21.	सोनीपत	18	0.17
<b>कुल</b>		<b>531</b>	<b>6.88</b>

<sup>1</sup> ₹ 22,449



## परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (i); पृष्ठ 60)

स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा अधिक) के विवरण जिनके लिए अनुमोदित आउटले में प्रावधान किए गए परंतु संशोधित अनुमानों में वापस लिए गए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले
1.	पशुपालन	डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय योजना	4.00	-
2.	मछली पालन	राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना की स्कीम/जिसे राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एन.एफ.डी.बी.) के रूप में नाम दिया गया	12.63	-
3.		मछली पालन क्षेत्र के लिए डाटाबेस और सूचना नेटवर्किंगसुदृढीकरण/जिसे मछली पालन क्षेत्र के लिए डाटाबेस और सूचना नेटवर्किंग के सुदृढीकरण के रूप में नाम दिया गया-स्थापना व्यय	1.30	-
4.	राजिस्ट्रार,	हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक चंडीगढ़	3.00	-
5.	सहकारी समितियां, हरियाणा	प्राथमिक सहकारी और कृषि ग्रामीण विकास को शेर पंजी में सरकारी योगदान	3.00	-
6.		सहकारी चीनी मिलों में पावर कोजेनेरेशन और इथेनॉल प्लांट की स्थापना	5.00	-
7.		ग्रामीण भण्डारण आई.सी.डी.पी.	1.27	-
8.	ऊर्जा	उदय के अंतर्गत हरियाणा डिस्कोमज को अनुदान/सहायता-ह.वि.प्र.नि.लि. को सहायता अनुदान	171.00	-
9.		उदय के अंतर्गत हरियाणा डिस्कोमज को अनुदान/सहायता-द.ह.बि.वि.नि.लि. को सहायता अनुदान	1446.66	-
10.		उदय के अंतर्गत हरियाणा डिस्कोमज को अनुदान/सहायता-उ.ह.बि.वि.नि.लि. को सहायता अनुदान	2274.84	-
11.	उद्योग	क्षेत्रीय कार्यालयों/कार्यालय परिसर निदेशालय का आधुनिकीकरण	10.00	-
12.	पर्यटन	स्वदेश दर्शन योजना के लिए परियोजना	20.00	-
13.		राज्य में पर्यटक स्थलों पर मल्टीमीडिया/लेजर शो के विकास के लिए योजना	2.00	-
14.		महेन्द्र-माधोगढ़ के लिए गंतव्य के रूप में पर्यटक बुनियादी ढांचा विकास	2.00	-
15.		यमुना नगर-पंचकूला-पाँटा साहिब के लिए मेगा सर्किट के रूप में बुनियादी ढांचा विकास	1.00	-
16.		गंतव्य के रूप में पंचकूला के लिए पर्यटक बुनियादी ढांचा विकास	1.00	-
17.		गंतव्य के रूप में हिसार के लिए पर्यटक बुनियादी ढांचा विकास	2.00	-
18.		पानीपत-कुरुक्षेत्र-पिंजौर के प्रमुख सर्किट के रूप में पर्यटक बुनियादी ढांचा विकास	1.00	-
19.	शिक्षा (माध्यमिक) (ई.डी.एस.)	वरिष्ठ माध्यमिक/उच्च विद्यालयों (नाबाई) में लड़कियों के लिए अलग शौचालय/हैंडपंप का निर्माण	100.00	-
20.	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान (एम.ई.आर.)	पंचकूला में न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य	25.00	-
21.	एस.सी., एस.टी., और अन्य ओ.बी.सी. का कल्याण- (डब्ल्यू.एस.बी.)	50% से अधिक जनसंख्या वाले अनुसूचित जाति के गांवों में एस.पी.वी. स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम	5.00	-
22.	श्रम	श्रम न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए भूखंड की खरीद	2.00	-
23.	कौशल विकास और	आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. में उन्नयन	4.50	-
24.	औद्योगिक प्रशिक्षण-	कौशल विकास पहल	6.00	-
25.	(आई.टी.वी.)	आई.टी.आई. में आतिथ्य शिक्षा	1.06	-
कुल			4105.26	-

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (ii); पृष्ठ 60)

स्कीमों (₹ पांच करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान कम किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले
1.	पशुपालन	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष पशुधन बीमा की स्कीम	5.00	2.00
2.	वन	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन)	20.00	4.00
3.	राजिस्ट्रार, सहकारी समितिया, हरियाणा	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को शेरर पूंजी	5.00	1.00
4.	ग्रामीण विकास	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन (एस.पी.एम.आर.एम.)	80.00	1.00
5.	भू-अभिलेख	राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम -सर्वेक्षण/पुनःसर्वेक्षण और आधुनिक रिकॉर्ड कक्ष	10.00	5.00
6.	विकास	हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की सहायता स्कीम	20.00	1.00
7.	पंचायत	बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए हरियाणा ग्राम उदय योजना जिसे दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना के रूप में नाम दिया गया	1200.00	0.01
8.	सिंचाई और जल संसाधन विभाग	नहर का निर्माण (एस.वाई.एल.)	100.00	0.10
9.	ऊर्जा	आर.आई.डी.एफ. योजनाओं के अंतर्गत नाबाई से एच.पी.जी.सी.एल. को ऋण	240.00	54.16
10.	विज्ञान और तकनीक	सोनीपत में साईस सिटी की स्थापना	80.00	0.01
11.	शिक्षा (प्राथमिक)	स्वर्ण जयंती प्रोग्राम -स्वच्छ प्रांगण	30.00	1.00
12.	तकनीकी शिक्षा	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.), किलोहार्ड, सोनीपत की स्थापना	10.00	0.01
13.		नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, पंचकूला की स्थापना	10.00	5.00
14.	चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान	राज्य में नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल/कॉलेजों का निर्माण कार्य -भवन का निर्माण	5.00	0.01
15.		नलहर में डेंटल कॉलेज का निर्माण कार्य -भवन का निर्माण	5.00	0.50
16.		स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल का निर्माण कार्य -भवन का निर्माण	99.50	10.50
17.		जींद में न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य	25.00	2.00
18.		भिवानी में न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य	50.00	2.00
19.	पुलिस	क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला स्टॉफ	7.78	0.01
20.	शहरी स्थानीय निकाय	अग्नि सेवाओं का सुदृढीकरण	35.00	17.00
21.		राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन	36.20	24.00
22.		अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन	8.90	6.00
23.		राजीव आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति घटक जिसे प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत एस.सी. घटक के रूप में नाम दिया गया	13.20	4.00
24.	खाद्य और आपूर्ति	गोदामों का निर्माण -नाबाई योगदान	9.50	4.50
25.	प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	5.75	0.12
	कुल		2110.83	144.93

## परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (iii); पृष्ठ 61)

स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जिनके लिए अनुमोदित परिव्यय और संशोधित अनुमानों में प्रावधान किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले
1.	कृषि और किसान कल्याण विभाग	बायो-गैस संयंत्र स्थापित करना	3.00	3.00
2.	राजिस्ट्रार, सहकारी समितिया, हरियाणा	विपणन सहकारी समितियों की शेयर पूंजी में सरकारी योगदान	1.00	1.00
3.	ग्रामीण विकास	संसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जे.वाई.)	2.50	2.50
4.	सिंचाई और जल संसाधन विभाग	बी.एम.एल.-हांसी शाखा-बुटाना शाखा बहुउद्देश्यीय लिंक चैनल	1.00	1.00
5.	शिक्षा (प्राथमिक)	स्कूल भवन का निर्माण	25.00	25.00
6.	खेल और युवा	खेल और क्रीड़ा	1.00	1.00
7.	कल्याण	बुनियादी ढांचा योजना	10.25	10.25
8.	शहरी स्थानीय निकाय	दूध डेयरी का स्थानांतरण	5.00	5.00
9.	एस.सी., एस.टी.,	गर्ल्स बॉयज़ हॉस्टल	1.00	1.00
10.	और अन्य ओ.बी.सी. का	डॉ अम्बेडकर प्री-मैट्रिक और डीनोटिफाइड जनजातियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (डी.एन.टी.)	4.00	4.00
11.	कल्याण	ओ.बी.सी. लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास का निर्माण	5.00	5.00
12.		हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम को प्रोत्साहन गतिविधियों, वसूली एवं मूल्यांकन के लिए 1% एवं 3% की दर पर शेयर पूंजी एवं मिलान सहायता	3.48	3.48
13.		हॉस्टल के निर्माण के लिए नानाजी देशमुख योजना	4.00	4.00
14.		बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना	5.50	5.50
15.	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	एक्सेसिबल इंडिया कैम्पेन सुगम्य भारत अभियान (एस.आई.पी.डी.ए.)	12.00	12.00
		<b>कुल</b>	<b>83.73</b>	<b>83.73</b>

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (iv); पृष्ठ 61)

स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जहां बजट अनुमानों में वृद्धि की गई परन्तु व्यय मूल प्रावधान के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	अनुमोदित आउटले की प्रतिशतता
1.	कृषि और किसान कल्याण विभाग	सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन	8.00	13.20	1.20	15
2.	वन	एकाधिक उपयोग क्षेत्र में वन्य जीवन संरक्षण	4.00	4.81	2.73	68
3.	उद्योग	हैंडलूम, हस्तशिल्प और निर्यात का प्रचार	1.25	1.76	0.64	51
4.	शिक्षा (प्राथमिक)	झज्जर में एक स्वायत्त राज्य स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	5.17	6.29	2.79	54
5.	पुरातत्व और संग्रहालय	प्राचीन स्मारकों की साइट्स का संरक्षण/संरक्षण विकास	2.50	2.53	1.27	51
6.	तकनीकी शिक्षा	हरियाणा तकनीकी शिक्षा निदेशालय का सुदृढीकरण-स्थापना व्यय	4.00	5.50	2.61	65
7.	चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान	नलहर में मेवात मेडिकल कॉलेज का निर्माण -भवन निर्माण (राज्य योगदान)	70.00	110.00	5.45	8
8.	स्वास्थ्य	डी-एडिक्शन सेंटर का सुदृढीकरण/खोलना	1.94	2.23	1.48	76
9.	शहरी स्थानीय निकाय	प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी	60.20	120.00	17.24	29
10.	जेलें	जेलों का आधुनिकीकरण	10.00	24.57	1.81	18
	<b>कुल</b>		<b>167.06</b>	<b>790.89</b>	<b>37.22</b>	<b>22</b>

## परिशिष्ट 2.12

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (v); पृष्ठ 61)

स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जिनके लिए संशोधित बजट कम किया गया था परन्तु वास्तविक व्यय संशोधित आऊटले के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आऊटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक व्यय	आर.ई. के विरुद्ध वास्तविक व्यय की प्रतिशतता
1.	कृषि और किसान कल्याण विभाग	संस्थागत एजेंसियों द्वारा उर्वरक के भंडारण और वितरण की स्कीम	27.50	25.00	15.17	61
2.		आई.एस.ओ.पी.ओ.एम. जिसे राष्ट्रीय तेल बीज और ऑयलपाम मिशन (एन.एम.ओ.ओ.पी.) का नाम दिया गया	20.00	3.71	2.78	75
3.		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	32.00	22.00	9.93	45
4.		राज्य विस्तार कार्यक्रमों में विस्तार सुधार के लिए केंद्र सेंक्टर स्कीम को समर्थन की स्कीम	32.00	16.55	11.67	71
5.		संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जिसे प्रधान मंत्री फासल बीमा योजना के रूप में नाम दिया गया	300.00	200.00	144.94	72
6.		अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	8.00	1.60	0.68	42
7.	बागवानी	बागवानी के सुदृढ़ीकरण की स्कीम	9.00	8.06	6.01	75
8.		हरियाणा राज्य में एकीकृत बागवानी विकास की स्कीम	11.00	8.45	6.42	76
9.		अनुसूचित जाति के किसानों के लिए सतत् कृषि पर सूक्ष्म सिंचाई/राष्ट्रीय मिशन की स्कीम	15.00	1.92	0.79	41
10.		मछली पालन	सजावटी मछली पालन की स्कीम	10.00	6.68	1.18
11.		फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर का विकास	16.40	14.77	4.99	34
12.	वन	शहरी क्षेत्रों में ग्रीन बेल्ट	13.75	10.00	6.22	62
13.		अभ्यारणों का सुदृढ़ीकरण, विस्तार और सुधार	6.00	5.19	2.07	40
14.	ग्रामीण विकास	ग्रामीण विकास के लिए गांव के युवा स्वयंसेवकों के बीच जागरूकता	10.00	8.00	2.51	31
15.		पंचायत/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशालय कार्यालय और ग्राम सचिवालय सहित ब्लॉक ऑफिस भवन का नया निर्माण/नवीनीकरण/मरम्मत	40.00	15.00	6.27	42
16.		हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण को सहायता की स्कीम	60.00	2.00	1.05	53
17.		स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता की स्कीम -सामान्य योजना	168.00	75.00	28.83	38
18.		स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता की स्कीम -अनुसूचित जाति के लिए	107.50	50.00	10.83	22
19.	पंचायत	महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना	82.50	30.00	9.49	32
20.	सिंचाई और जल संसाधन विभाग	जल निकायों -नहर का निर्माण	25.00	20.00	8.76	44
21.	नई और अक्षय ऊर्जा विभाग	गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत का प्रचार - सामान्य योजना	99.21	51.41	25.04	49

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	आर.ई. के विरुद्ध वास्तविक व्यय की प्रतिशतता
22.	उद्योग	औद्योगिक आधारभूत संरचना का निर्माण उन्नयन और रखरखाव जिसे नई उद्यम प्रमोशन पॉलिसी 2015 के अंतर्गत बुनियादी ढांचे के विकास के रूप में नाम दिया गया	150.00	40.00	14.13	35
23.	पी.डब्ल्यू.डी. (भवन एवं सड़क)	उप-मंडल स्तर पर आवासीय परिसर/पारगमन फ्लैटों के लिए स्वर्ण जयंती स्कीम	20.00	1.00	0.01	1
24.		हरियाणा राज्य में पुलों का निर्माण-राज्य योजना के अंतर्गत पुलों और रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण	15.00	6.00	4.53	76
25.		हरियाणा राज्य में सड़क का निर्माण - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्कीम के लिए सड़कों का निर्माण, सुदृढीकरण/चौड़ीकरण और उन्नयन	70.00	19.00	13.00	68
26.		ग्रामीण सड़कें - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्कीम के लिए सड़कों का निर्माण, सुदृढीकरण/चौड़ीकरण और बाई-पास	40.00	25.00	5.00	20
27.		जिला सड़कें - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्कीम के लिए सड़कों का निर्माण, सुदृढीकरण/चौड़ीकरण	40.00	10.00	4.00	40
28.	परिवहन आयुक्त हरियाणा	नियामक विंग के लिए भूमि की खरीद और भवन का निर्माण	16.00	10.25	0.94	9
29.	शिक्षा (प्राथमिक)	सुविधाओं का विस्तार कक्षा I-V (पूर्णकालिक)	250.00	137.00	104.18	76
30.		अनुसूचित जाति कक्षा I से VIII के लिए नकद पुरस्कार योजना	85.00	70.00	55.07	79
31.		स्वर्ण जयंती कार्यक्रम - सुगम शिक्षा - सभी स्कूलों में शिक्षक प्रदान करना	100.00	10.00	2.22	22
32.		सर्व शिक्षा अभियान	741.38	631.74	452.30	72
33.	शिक्षा (उच्च)	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	100.00	60.00	34.56	58
34.	शिक्षा (सेकेंडरी)	स्कूल में कंप्यूटर साक्षरता और अध्ययन	96.57	55.57	33.80	61
35.		माध्यमिक स्तर पर विकलांग के लिए समावेशी शिक्षा	16.00	12.72	9.24	73
36.		शैक्षणिक रूप से पिछड़े खंडों में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण और संचालन	12.78	11.65	0.17	1
37.		राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.)	400.00	311.70	227.14	73
38.	तकनीकी शिक्षा	राज्य में नए सरकारी पॉलिटेक्निक की स्थापना	20.00	10.00	6.40	64
39.	खेल और युवा कल्याण	स्वर्ण जयंती उत्सव स्कीम	80.00	35.00	20.91	60
40.		खेल उपकरण	22.00	5.00	3.92	78
41.	चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान	मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए मुख्य मंत्री मुफ्त इलाज योजना - पंडित बी.डी. शर्मा आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक	20.00	19.00	12.78	67
42.		निदेशक, अनुसंधान और चिकित्सा शिक्षा, हरियाणा के कार्यालय की स्थापना	7.00	5.78	3.78	65
43.		बी.डी. शर्मा विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान, रोहतक का निर्माण कार्य- भवन का निर्माण	137.10	80.00	61.00	76
44.	स्वास्थ्य	बाल जीवन रक्षा सुरक्षित मातृत्व	9.04	7.46	5.57	75
45.		जिला परिवार नियोजन ब्यूरो	16.20	12.54	9.54	76
46.		राज्य परिवार नियोजन ब्यूरो	5.70	4.20	3.21	76
47.		ए.एन.एम. का प्रशिक्षण	8.70	7.86	6.09	78

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	आर.ई. के विरुद्ध वास्तविक व्यय की प्रतिशतता
48.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	70.00	25.00	15.46	62
49.	शहरी स्थानीय निकाय	प्राकृतिक आपदाओं के कारण छोटे दुकानदारों की वाणिज्यिक संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति की स्कीम	10.00	5.00	0.05	1
50.		नया शहरी नवीनीकरण मिशन (अमरुत)	440.00	400.00	123.50	31
51.	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.) जिसे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के रूप में नाम दिया गया	38.00	8.00	0.80	10
52.		अल्पसंख्यक एकीकरण विकास की स्कीम जिला मेवात और सिरसा	76.00	40.00	26.71	67
53.		हरियाणा में निदेशालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के भवनों के निर्माण के लिए संस्थागत प्लॉटों की खरीद जिसे निदेशालय (स्वर्ण जयंती) के भवन के निर्माण के लिए संस्थागत प्लॉट की खरीद के रूप में नाम दिया गया	5.00	2.00	1.15	58
54.	कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण	मशीनरी और उपकरण का आधुनिकीकरण	30.00	28.93	20.49	71
55.	राजस्व	उत्पाद शुल्क और कराधान	25.00	15.00	6.15	41
	कुल		4,265.33	2,697.74	1,593.43	59

परिशिष्ट 2.13

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (vii); पृष्ठ 61)

स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए अनुमोदित आउटले तथा संशोधित अनुमानों में प्रावधान रखा गया था परंतु किया गया व्यय रखे गए प्रावधान के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	मूल/ संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	आर.ई. के व्यय की प्रतिशतता
1.	कृषि और किसान कल्याण विभाग	गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन की स्कीम	5.50	3.95	72
2.		हरियाणा किसान आयोग की स्कीम या निर्माण	3.00	2.03	68
3.	वन	भवन	7.00	5.38	77
4.		हर्बल नेचर पार्क	5.50	3.69	67
5.		टिकाऊ कृषि (एन.एम.एस.ए.) केंद्र प्रायोजित स्कीम के लिए राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत कृषि-वानिकी	6.00	1.24	21
6.		राज्य वन विकास एजेंसी (एस.एफ.डी.ए.) द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण और वानिकी/वनीकरण गतिविधियां	15.00	10.71	71
7.	पंचायत	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर अनुसूची जातियों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में विशेष विकास कार्य	9.00	7.14	79
8.	सिंचाई और जल संसाधन विभाग	पश्चिमी जमुना नहर (डब्ल्यू.जे.सी.) और जवाहर लाल नेहरू (जे.एल.एन.) प्रणाली की क्षमता में सुधार	30.00	16.57	55
9.		नहर का निर्माण	135.00	98.30	73
10.	पी.डब्ल्यू.डी. (भवन एवं सड़क)	हरियाणा राज्य में पुलों और रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण। नाबाई स्कीम के अंतर्गत पुलों और रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	30.00	22.24	74
11.	शिक्षा (प्राथमिक)	कक्षा I-VIII में बी.सी.-ए छात्रों को मासिक वजीफा	60.00	21.71	36
12.		कक्षा I-VIII में बी.पी.एल. छात्रों को मासिक वजीफा	12.00	2.00	17
13.		कक्षा I-VIII कक्षा में सभी अनुसूचित जाति के छात्रों को मासिक वजीफा	170.00	71.71	42
14.		कक्षा VI में छात्र एस.सी. लड़के के छात्रों को मुफ्त साइकिल प्रदान करना	6.00	1.63	27
15.		मिड डे-मील स्कूलों का राष्ट्रीय कार्यक्रम	45.00	29.53	66
16.		शिक्षा (सेकेंडरी)	कक्षा IX-XII में बी.सी.-ए छात्रों को मासिक वजीफा	40.00	24.41
17.	कक्षा IX-XII में बी.पी.एल. छात्रों को मासिक वजीफा		8.00	3.44	43
18.	कक्षा 9 और 11 वीं कक्षा में अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त साइकिल प्रदान करना		10.00	3.41	34



क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	मूल/ संशोधित आऊटले	वास्तविक व्यय	आर.ई. के व्यय की प्रतिशतता
19.	खेल और युवा कल्याण	खेल गतिविधियों का प्रचार (ई. एंड टी.)	59.00	41.30	70
20.		खेल पुरस्कार और प्रोत्साहन योजना - सामान्य योजना	5.00	1.11	22
21.		अनुसूचित जातियों के लिए बुनियादी ढांचा योजना	16.00	10.69	67
22.		पंचायती युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पी.वाई.के.के.ए.) जिसे खेलो इंडिया के रूप में नाम दिया गया - खेलों के विकास का राष्ट्रीय कार्यक्रम -केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम सहायतानुदान	14.30	1.75	12
23.	चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान	बी.पी.एस. महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर कलां (सोनीपत) का निर्माण - भवन निर्माण (राज्य योगदान)	30.00	0.86	3
24.	स्वास्थ्य	पी.एच.सी./सी.एच.सी. के लिए दवाइयों और सामग्री की खरीद	8.50	5.90	69
25.		शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	5.70	4.05	71
26.		परंपरागत गर्भनिरोधक	5.22	2.95	56
27.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा गांधी पेयजलापूर्ति स्कीम के अंतर्गत सृजित स्थापनाओं का रखरखाव	15.00	10.96	73
28.		ग्रामीण एवं शहरी जलापूर्ति और सीवरेज कार्यों के लिए अधिगृहीत भूमि के लिए मुआवजा	50.00	20.83	42
29.		ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्चस्व वाले निवासियों के लिए जलापूर्ति	15.00	9.44	63
30.		त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	14.80	2.85	19
31.		एस.सी.एस.पी. के लिए एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत स्थापना का संचालन और रखरखाव	5.20	2.23	43
32.		मरूस्थल विकास कार्यक्रम	75.00	54.29	72
33.		त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति - एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. (आर्सेनिक और फ्लोराइड पर राष्ट्रीय जल गुणवत्ता सब-मिशन)	12.00	4.30	36
34.		त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति - एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. (जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग एवं सर्विलांस डब्ल्यू.क्यू.एम.एस.)	5.00	2.00	40
35.	त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति - एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.-(सहायक गतिविधियां)	8.35	3.10	37	
36.	त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति - एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.-स्थिरता (केंद्रीय)	12.35	3.58	29	
37.	त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति - एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.-कवरेज सेंट्रल	75.00	49.43	66	

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	मूल/ संशोधित आऊटले	वास्तविक व्यय	आर.ई. के व्यय की प्रतिशतता
38.	शहरी स्थानीय निकाय	शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	20.00	8.80	44
39.		समार्ट सिटी	400.00	204.00	51
40.	नगर एवं ग्राम आयोजना	दिल्ली के आसपास एन.सी.आर. उपग्रह के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को सहायतानुदान	42.00	0.46	1
41.	सांस्कृतिक मामले	हरियाणा सरस्वती विरासत विकास बोर्ड की स्थापना	10.00	4.50	45
42.	एस.सी., एस.टी., और अन्य	डॉ अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना	40.00	25.06	63
43.		बी.सी. छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	6.00	0.03	1
44.	ओ.बी.सी. का कल्याण - (डब्ल्यू.एस.बी.)	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम	35.00	15.00	43
45.		अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	200.00	12.80	6
46.		अनुसूचित जाति के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रम	12.00	4.35	36
47.		डेयरी पिगरी और अन्य स्कीमों जैसी पारंपरिक स्कीमों के लिए सब्सिडी	7.95	4.92	62
48.		बी.सी. छात्रों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	30.00	3.00	10
49.	महिला और बाल विकास	आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण - राज्य का योगदान	68.08	21.19	31
50.		आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण - नाबार्ड योगदान	28.50	16.96	60
51.		आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण	16.55	6.44	39
52.		एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (आई.सी.पी.एस.)	25.00	13.75	55
53.		आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना (उदिशा परियोजना)	5.00	2.38	48
54.		आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण	51.68	10.95	21
55.		किशोरियों के लिए स्कीम	18.26	5.57	31
56.	खाद्य और आपूर्ति	टी.पी.डी.एस. का एंड-टू-एंड कंप्यूटरीकरण	22.44	16.31	73
		<b>कुल</b>	<b>2,066.88</b>	<b>937.18</b>	<b>45</b>

## परिशिष्ट 2.14

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (viii तथा ix); पृष्ठ 61)

स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान रखा गया था परंतु संशोधित अनुमानों के 80 प्रतिशत से कम व्यय किया गया था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आऊटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक व्यय	संशोधित आऊटले से व्यय की प्रतिशतता
1.	एस.सी., एस.टी., और अन्य ओ.बी.सी. का कल्याण	हरियाणा विमुक्त घुमंतु जाति विकास बोर्ड की स्थापना	-	1.20	0.90	75
2.		सरकारी आई.टी.आई. में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम	-	2.35	0.03	1
3.	महिला और बाल विकास	राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच स्कीम	-	4.92	1.80	37
		कुल	-	8.47	2.73	32

स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए बजट अनुमान बढ़ाए गए थे परंतु व्यय, संशोधित अनुमानों के 20 प्रतिशत से अधिक था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आऊटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक व्यय	संशोधित आऊटले से व्यय की प्रतिशतता
2.	शिक्षा (प्राथमिक)	सर्व शिक्षा अभियान	148.28	166.53	213.77	128
3.	स्वास्थ्य	टीकाकरण कार्यक्रम	6.75	18.00	23.42	130
		कुल	155.03	184.53	237.19	129

परिशिष्ट 2.15

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (x); पृष्ठ 61)

स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान रखा गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	संशोधित आऊटले
1.	कृषि और किसान कल्याण विभाग	हैफेड को मूल्य समर्थन प्रणाली के अंतर्गत वैट/जी.एस.टी. प्लस मार्केट फीस की प्रतिपूर्ति	16.98
2.		कृषि कार्यालय भवन का निर्माण	1.72
3.	शिक्षा (प्राथमिक)	नाबार्ड के अंतर्गत वरिष्ठ माध्यमिक और उच्च विद्यालयों के भवनों का निर्माण	1.00
4.	स्वास्थ्य	दीन दयाल नवजात शिशु योजना	2.00
5.	पुलिस	हरियाणा राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली	9.20
		<b>कुल</b>	<b>30.90</b>

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए बजट अनुमान बढ़ाए गए थे परंतु कोई व्यय नहीं किया गया था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आऊटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक व्यय
1.	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	अनाथों और वृद्धों लिए घर जिसे वृद्धों और अशक्तों के लिए घर के रूप में नाम दिया गया रेवाड़ी, (स्वर्ण जयंती परियोजना)	0.10	6.00	0
2.	होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस	नागरिक रक्षा में सुधार	2.45	3.12	0
		<b>कुल</b>	<b>2.55</b>	<b>9.12</b>	<b>0</b>

## परिशिष्ट 2.16

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (xi); पृष्ठ 61)

स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए बजट अनुमान बढ़ाए गए थे परंतु व्यय, संशोधित अनुमानों के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित आऊटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक व्यय	संशोधित आऊटले से व्यय की प्रतिशतता
1.	कृषि और किसान कल्याण विभाग	मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना	10.08	17.64	12.39	70
2.	ऊर्जा	डी.एच.बी.वी.एन.एल. को साम्या पूंजी	41.50	110.46	41.50	38
3.		यू.एच.बी.वी.एन.एल. को साम्या पूंजी	41.50	122.78	78.10	64
4.		एच.पी.जी.सी.एल. को साम्या पूंजी	13.60	24.44	13.60	56
5.		डी.एच.बी.वी.एन.एल. के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को बिजली की गुणवत्ता में सुधार और बिजली की अबाधित आपूर्ति	27.84	38.92	27.84	72
6.	पी.डब्ल्यू.डी. (बी एंड आर)	हरियाणा राज्य में नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए राज्य शेर प्रदान करना	250.00	350.00	246.34	70
7.	आयुष	आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक डिस्पेंसरी/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सुदृढीकरण और महिलाओं, बच्चों एवं वृद्धों के लिए विशेष दवाएं	7.85	7.95	6.29	79
8.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	35.50	52.25	31.62	61
9.	शहरी स्थानीय निकाय	शहरी स्थानीय निकाय के लिए वैंट पर सरचार्ज का हिस्सा	522.71	1700.00	1314.43	77
10.	एस.सी., एस.टी., और अन्य ओ.बी.सी. का कल्याण - (डब्ल्यू.एस.बी.)	अत्याचारों के शिकार को वित्तीय राहत	7.00	10.00	7.00	70
11.	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	राजीव गांधी परिवार बीमा योजना	7.50	15.00	9.99	67
12.	महिला और बाल विकास	मातृत्व लाभ कार्यक्रम (एम.बी.पी.) जिसे प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.) के रूप में नाम दिया गया	22.00	56.09	20.75	37
		<b>कुल</b>	<b>987.08</b>	<b>2,505.53</b>	<b>1,809.85</b>	<b>72</b>

परिशिष्ट 2.17

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.1 (ii); पृष्ठ 62)

उन स्कीमों के विवरण जिनमें बचत ₹ एक करोड़ से अधिक थी

क्र. सं.	स्कीम का नाम तथा लेखा शीर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
	राजस्व (दत्तमत)	(₹ करोड़ में)			
1	हरियाणा कौशल विकास मिशन की स्थापना (2203-001-91)	25.00	11.25	13.75	55
2	तकनीकी शिक्षा निदेशालय (मुख्यालय स्टॉफ) (2203-001-93)	6.99	5.37	1.62	23
3	हरियाणा तकनीकी शिक्षा निदेशालय का सुदृढीकरण (स्थापना व्यय) (2203-001-97-98)	4.00	2.61	1.39	35
4	गांव दुधोला जिला पलवल में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (2203-102-95)	5.00	2.25	2.75	55
5	वैश्य तकनीकी संस्थान, रोहतक (2203-104-97)	6.80	4.76	2.04	30
6	पॉलिटैक्निकस के माध्यम से सामुदायिक विकास (2203-105-55)	2.00	0.10	1.90	95
7	सरकारी पॉलिटैक्निक का विकास (स्थापना व्यय) (2203-105-59-98)	153.25	125.53	27.72	18
8	मौजूदा पॉलिटैक्निक का आधुनिकीकरण (2203-105-82)	6.00	0.00	6.00	100
9	राज्य में नए सरकारी पॉलिटैक्निकस की स्थापना (2203-108-89)	20.00	6.40	13.60	68
10	सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज नीलोखेड़ी जिला करनाल की स्थापना (2203-112-90)	5.00	3.02	1.98	40
11	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), किलोहार्ड, सोनीपत की स्थापना (2203-112-91)	10.00	0.00	10.00	100
12	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, पंचकूला की स्थापना (2203-112-92)	10.00	0.00	10.00	100
	<b>कुल राजस्व (दत्तमत)</b>	<b>254.04</b>	<b>161.29</b>	<b>92.75</b>	<b>37</b>

## परिशिष्ट 2.18

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.1 (iii); पृष्ठ 62)

पिछले तीन वर्षों की सतत् बचतों से संबंधित शीर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष स्कीम-वार (लेखा शीर्ष)	वर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1	हरियाणा तकनीकी शिक्षा निदेशालय का सुदृढीकरण (स्थापना व्यय) (2203-001-97-98)	2015-16	2.25	1.93	0.32	14
		2016-17	2.79	2.12	0.67	24
		2017-18	4.00	2.61	1.39	35
2	मौजूदा पॉलटेक्निकों का आधुनिकीकरण (2203-105-82)	2015-16	3.00	0.00	3.00	100
		2016-17	10.00	8.51	1.49	15
		2017-18	6.00	0.00	6.00	100
3	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), किलोहार्ड, सोनीपत की स्थापना (2203-112-91)	2015-16	10.00	0.00	10.00	100
		2016-17	10.00	5.00	5.00	50
		2017-18	10.00	0.00	10.00	100
4	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, पंचकूला की स्थापना (2203-112-92)	2015-16	15.00	0.00	15.00	100
		2016-17	20.00	5.00	15.00	75
		2017-18	10.00	0.00	10.00	100
5	अनुसूचित जाति के छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति (2203-789-96)	2015-16	5.00	0.06	4.94	99
		2016-17	5.00	0.06	4.94	99
		2017-18	0.25	0.05	0.20	81
6	अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त पुस्तकों की आपूर्ति (2203-789-97)	2015-16	1.00	0.00	1.00	100
		2016-17	1.00	0.00	1.00	100
		2017-18	1.00	0.84	0.16	16
7	सरकारी पॉलटेक्निक भवनों में एडीशन एंड आल्ट्रेडेशन (2203-800-99)	2015-16	0.05	0.01	0.03	60
		2016-17	0.04	0.02	0.02	50
		2017-18	0.04	0.02	0.02	50

परिशिष्ट 2.19

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.1 (v); पृष्ठ 63)

वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंत में व्यय के वेग के मामले

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		अंतिम माह का व्यय
			राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	
1	संबद्ध सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों/पॉलिटेक्निकों के कर्मचारियों को पेंशन (2203-104-74)	4.85	1.60	33	0.61
2	मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज, ग्राम पल्ला, मेवात में न्यू बाँयज़ हॉस्टल का निर्माण (2203-104-73)	1.00	0.55	55	0.55
3	राज्य में नए सरकारी पॉलिटेक्निकों की स्थापना (2203-105-89)	6.40	6.40	100	6.40
4	मेरिट-कम-मीनस स्कॉलरशिप (2203-107-98)	0.99	0.32	32	0.11
5	सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज नीलोखेड़ी जिला करनाल की स्थापना (2203-112-90)	3.02	1.18	39	0.61
6	सरकारी पॉलिटेक्निक की मान्यता (स्वर्ण जयंती स्कीम के अंतर्गत) (2203-199-99)	0.10	0.10	100	0.10
7	अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त पुस्तकों की आपूर्ति (2203-797-97)	0.84	0.84	100	0.84
8	प्रत्येक सरकारी सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक और सरकारी तकनीकी विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए विशेष रूप से कंप्यूटर लैब की स्थापना (2203-789-93)	0.50	0.50	100	0.50
9	एस.सी. छात्रों को राज्य परिवहन सुविधा/ट्रेन पास की प्रतिपूर्ति (2203-789-92)	0.06	0.06	100	0.02
10	सरकारी पॉलिटेक्निक भवनों में एडीशन एंड आल्ट्रेडेशन (2203-800-91)	0.02	0.01	50	0.00
	<b>कुल</b>	<b>17.78</b>	<b>11.56</b>	<b>65</b>	<b>9.75</b>



## परिशिष्ट 2.20

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (iii); पृष्ठ 64)

उन स्कीमों के विवरण जिनमें बचत ₹ पांच करोड़ से अधिक थी

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष स्कीमवार (लेखा शीर्ष)	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
	राजस्व (दत्तमत)				
1	निदेशन एवं प्रशासन: विशेष राजस्व (2700-01-001-89)	23.43	0.90	22.53	96.16
2	निदेशन एवं प्रशासन: कार्यकारी अभियंता (2700-01-001-91)	90.51	4.17	86.34	95.39
3	निदेशन एवं प्रशासन: विशेष राजस्व (2700-02-001-89)	47.41	3.99	43.42	91.58
4	निदेशन एवं प्रशासन: कार्यकारी अभियंता (2700-02-001-91)	352.08	29.05	323.03	91.75
5	निदेशन एवं प्रशासन: अधीक्षक अभियंता (2700-02-001-92)	23.93	1.27	22.66	94.69
6	निदेशन एवं प्रशासन: कार्यकारी अभियंता (2700-18-001-91)	48.34	15.17	33.17	68.62
7	निदेशन एवं प्रशासन: मुख्य अभियंता (2700-80-001-93)	37.72	8.71	29.01	76.91
8	नहर क्षेत्र के लिए क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सी.ए.डी.) (2705-190-95)	217.27	105.00	112.27	51.67
	<b>कुल</b>	<b>840.69</b>	<b>168.26</b>	<b>672.43</b>	<b>79.99</b>
	<b>पूँजीगत (दत्तमत)</b>				
1	अन्य व्यय: नहर का निर्माण (4700-07-800-98)	100.00	0.00	100.00	100.00
2	नहर नेटवर्क की बहाली-राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या में वाटर कोर्सिस की बहाली में सुधार (4700-13-789-99)	94.00	58.87	35.13	37.37
3	अन्य व्यय: पश्चिमी जमुना नहर (डब्ल्यू.जे.सी.) और जवाहर लाल नेहरू (जे.एल.एन). प्रणाली की क्षमता में सुधार (4700-13-800-97)	30.00	16.57	13.43	44.77
4	अन्य व्यय: नहर का निर्माण (4700-13-800-98)	135.00	98.30	36.70	27.19
5	राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या में वाटर कोर्सिस के निर्माण कार्यों और बहाली में सुधार (4700-16-789-99)	35.00	14.94	20.06	57.31
6	अन्य व्यय: नहर का निर्माण (4700-16-800-98)	25.00	8.76	16.24	64.96
7	अन्य व्यय: भूमि की वार्षिकता (4701-06-800-97)	20.00	14.66	5.34	26.70
8	राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिए आर.आई.डी.एफ. (नाबार्ड) के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों में सुधार (4701-07-789-99)	69.50	62.15	7.35	10.58
9	अन्य व्यय: नाबार्ड के अंतर्गत सिंचाई दक्षता योजना के अंतर्गत माइक्रो सिंचाई (4701-07-800-97)	10.65	0.00	10.65	100.00
10	अन्य व्यय: जल निकायों -नहर का निर्माण (4701-23-800-98)	25.00	3.17	21.83	87.32
11	बाढ़ संरक्षण और आपदा तैयारी (4711-01-201-99)	75.00	58.83	16.17	21.56
12	राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या क्षेत्र में बाढ़ संरक्षण, बहाली और आपदा प्रबंधन (4711-01-789-99)	50.00	34.58	15.42	30.84
	<b>कुल पूँजीगत (दत्तमत)</b>	<b>669.15</b>	<b>370.83</b>	<b>298.32</b>	<b>44.58</b>
	<b>पूँजीगत भारित</b>				
1	अन्य व्यय: भूमि मुआवजे का भुगतान (4701-80-800-98)	70.00	57.61	12.39	17.70
	<b>कुल पूँजीगत (भारित)</b>	<b>70.00</b>	<b>57.61</b>	<b>12.39</b>	<b>17.70</b>

परिशिष्ट 2.21

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (iv); पृष्ठ 64)

अभ्यर्पित न की गई प्रत्याशित बचत (₹ एक करोड़ से अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम तथा लेखा शीर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित न की गई राशि
	1	2	3	4 (2-3)	5	6 (4-5)
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>						
1	निदेशन एवं प्रशासन: विशेष राजस्व (2700-01-001-89)	23.43	0.91	22.52	3.81	18.71
2	निदेशन एवं प्रशासन: कार्यकारी अभियंता (2700-01-001-91)	90.51	4.17	86.34	15.06	71.28
3	निदेशन एवं प्रशासन: अधीक्षक अभियंता (2700-01-001-92)	2.77	0.15	2.62	0.64	1.98
4	निदेशन एवं प्रशासन: विशेष राजस्व (2700-02-001-89)	47.41	3.99	43.42	7.47	35.95
5	निदेशन एवं प्रशासन: कार्यकारी अभियंता (2700-02-001-91)	352.08	29.05	323.03	59.76	263.27
6	निदेशन एवं प्रशासन: अधीक्षक अभियंता (2700-02-001-92)	23.93	1.27	22.66	6.87	15.79
7	निदेशन एवं प्रशासन: कार्यकारी अभियंता (2700-18-001-91)	48.34	15.17	33.17	6.14	27.03
8	निदेशन एवं प्रशासन: अधीक्षक अभियंता (2700-18-001-92)	5.00	0.70	4.30	1.86	2.44
9	निदेशन एवं प्रशासन: मुख्य अभियंता (2700-18-001-93)	6.00	1.67	4.33	1.39	2.94
10	निदेशन एवं प्रशासन: मुख्य अभियंता (2700-80-001-93)	37.72	8.71	29.01	6.27	22.74
<b>कुल राजस्व (दत्तमत)</b>		<b>637.19</b>	<b>65.79</b>	<b>571.40</b>	<b>109.27</b>	<b>462.13</b>
<b>पूँजीगत (दत्तमत)</b>						
1	नहर नेटवर्क की बहाली -राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या में वाटर कोर्सिस की बहाली में सुधार (4700-13-789-99)	94.00	58.87	35.13	33.93	1.20
2	अन्य व्यय: बी.एम.एल. की रेस्टोरेशन क्षमता (4700-15-800-98)	7.00	2.69	4.31	2.52	1.79
3	राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के लिए आर.आई.डी.एफ. (नाबार्ड) के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों में सुधार (4701-07-789-99)	69.50	62.15	7.35	2.05	5.30
4	राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या क्षेत्र में बाढ़ संरक्षण, रेस्टोरेशन और आपदा प्रबंधन (4711-01-789-99)	50.00	34.58	15.42	15.07	0.35
<b>कुल पूँजीगत (दत्तमत)</b>		<b>220.50</b>	<b>158.29</b>	<b>62.21</b>	<b>53.57</b>	<b>8.64</b>

## परिशिष्ट 2.22

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (vi); पृष्ठ 65)

स्कीमों के विवरण जहां मूल बजट प्रदान किया गया था लेकिन पुनर्विनियोजन द्वारा वापस ले लिया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	स्कीम का नाम	मूल बजट
1	2700-80-192-99	हरियाणा द्वारा पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) को अनुदान	0.01
2	2700-80-800-96	नहर में दरार के कारण किसानों को उनकी फसल के नुकसान के लिए मुआवजा	0.25
3	2701-08-001-91	कार्यकारी अभियंता	0.70
4	2701-10-001-91	कार्यकारी अभियंता	0.25
5	4700-07-800-98	नहर का निर्माण	100.00
6	4700-15-800-97	बी.एम.एल.-हांसी शाखा-बुटाना शाखा बहुउद्देश्यीय लिंक चैनल	1.00
7	4700-25-800-98	नहर का निर्माण	0.10
8	4701-07-800-97	नाबार्ड के अंतर्गत सिंचाई दक्षता स्कीम के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई	10.65
9	4701-19-800-98	नहर का निर्माण	1.00
10	4701-22-800-98	नहर का निर्माण	0.01
11	4701-23-800-97	जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली	0.01
12	4701-80-052-99	संस्थागत सुदृढीकरण डेटा संग्रह इत्यादि	0.05
	<b>कुल</b>		<b>114.03</b>

**परिशिष्ट 2.23**

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (vii); पृष्ठ 65)

**स्कीमों के विवरण जिनमें 2017-18 के दौरान अनुदान संख्या 24 के अंतर्गत प्रावधान के बिना व्यय (₹ दो करोड़ से अधिक) किया गया था**

क्र. सं.	व्यय का लघु/उप-शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)
1	2700-मुख्य सिंचाई, 02-पश्चिम जमुना नहर परियोजना, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता	2.40
2	2700-मुख्य सिंचाई, 05-जवाहर लाल नेहरू नहर परियोजना (वाणिज्यिक), 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता	2.50
3	2700-मुख्य सिंचाई, 80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व	5.70
4	2700-मुख्य सिंचाई, 80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता	67.13
5	2700-मुख्य सिंचाई, 80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 92-अधीक्षक अभियंता	5.76
6	4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 13-नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण और लाईनिंग, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व	19.46
7	4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 13-नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण और लाईनिंग, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता	108.67
8	4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 13-नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण और लाईनिंग, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 92-अधीक्षक अभियंता	5.26
9	4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 13-नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण और लाईनिंग, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता	8.26
10	4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 16-मौजूदा चैनल/ड्रेनेज सिस्टम की बहाली, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व	2.65
11	4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-16-मौजूदा चैनल/ड्रेनेज सिस्टम की बहाली, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता	14.82
12	4701-पूंजीगत परिव्यय मध्यम सिंचाई, 06-पानी के समान वितरण के लिए नया माइनर, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व	2.63
13	4701-पूंजीगत परिव्यय मध्यम सिंचाई, 06-पानी के समान वितरण के लिए नया माइनर, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता	16.42
14	4701-पूंजीगत परिव्यय मध्यम सिंचाई, 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों में सुधार, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व	8.82
15	4701-पूंजीगत परिव्यय मध्यम सिंचाई, 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों में सुधार, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता	55.09
16	4701-पूंजीगत परिव्यय मध्यम सिंचाई, 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों में सुधार, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 92-अधीक्षक अभियंता	3.05
17	4701-पूंजीगत परिव्यय मध्यम सिंचाई, 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों में सुधार, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता	4.96
18	4701-पूंजीगत परिव्यय मध्यम सिंचाई, 80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व	4.24
19	4701-पूंजीगत परिव्यय मध्यम सिंचाई, 80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता	26.47
20	4701-पूंजीगत परिव्यय मध्यम सिंचाई, 80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता	2.38
21	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय, 01-बाढ़ नियंत्रण, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व	8.55
22	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय, 01-बाढ़ नियंत्रण, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता	59.73
23	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय, 01-बाढ़ नियंत्रण, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 92-अधीक्षक अभियंता	2.54
24	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय, 01-बाढ़ नियंत्रण, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता	4.06
	<b>कुल</b>	<b>441.55</b>

## परिशिष्ट 2.24

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (viii); पृष्ठ 65)

पिछले तीन वर्षों की सतत बचतों (₹ पांच करोड़ से अधिक) से संबंधित शीर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विस्तृत मुख्य स्कीम वार (लेखा शीर्ष)	वर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1	निदेशन एवं प्रशासन: विशेष राजस्व (2700-01-001-89)	2015-16	24.78	0.91	23.87	96
		2016-17	23.71	1.17	22.54	95
		2017-18	23.43	0.90	22.53	96
2	निदेशन एवं प्रशासन: कार्यकारी अभियंता (2700-01-001-91)	2015-16	90.85	3.89	86.96	96
		2016-17	92.42	5.13	87.29	94
		2017-18	90.51	4.17	86.34	95
3	निदेशन एवं प्रशासन: विशेष राजस्व (2700-02-001-89)	2015-16	48.18	4.36	43.82	91
		2016-17	47.76	4.17	43.59	91
		2017-18	47.41	3.99	43.42	92
4	निदेशन एवं प्रशासन: कार्यकारी अभियंता (2700-02-001-91)	2015-16	382.97	33.49	349.48	91
		2016-17	351.50	35.14	316.36	90
		2017-18	352.08	29.05	323.03	92
5	निदेशन एवं प्रशासन: अधीक्षक अभियंता (2700-02-001-92)	2015-16	25.08	1.75	23.33	93
		2016-17	23.08	1.74	21.34	92
		2017-18	23.93	1.27	22.66	95
6	निदेशन एवं प्रशासन: कार्यकारी अभियंता (2700-18-001-91)	2015-16	44.66	10.33	34.33	77
		2016-17	48.26	10.49	37.77	78
		2017-18	48.34	15.17	33.17	69
7	निदेशन एवं प्रशासन: मुख्य अभियंता (2700-80-001-93)	2015-16	35.21	6.89	28.32	80
		2016-17	37.25	7.87	29.38	79
		2017-18	37.72	8.71	29.01	77
8	राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या में वाटर कोर्सिस की बहाली में सुधार (4700-13-789-99)	2015-16	36.60	3.82	32.78	90
		2016-17	47.00	31.64	15.36	33
		2017-18	94.00	58.87	35.13	37
9	अन्य व्यय: नहर का निर्माण (4700-13-800-98)	2015-16	103.40	58.38	45.02	44
		2016-17	134.00	117.80	16.20	12
		2017-18	135.00	98.30	36.70	27
10	राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या में वाटर कोर्सिस के निर्माण कार्यों और बहाली में सुधार (4700-16-789-99)	2015-16	30.00	4.79	25.21	84
		2016-17	35.00	7.05	27.95	80
		2017-18	35.00	14.94	20.06	57
11	राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिए आर.आई.डी.एफ. (नाबाई) के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों में सुधार (4701-07-789-99)	2015-16	69.50	25.38	44.12	63
		2016-17	69.50	30.18	39.32	57
		2017-18	69.50	62.15	7.35	11
12	अन्य व्यय: जल निकाय - नहर का निर्माण (4701-23-800-98)	2015-16	20.00	6.12	13.88	69
		2016-17	10.00	1.17	8.83	88
		2017-18	25.00	3.17	21.83	87
13	राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या क्षेत्र में बाढ़ संरक्षण, बहाली और आपदा प्रबंधन (4711-01-789-99)	2015-16	35.00	8.28	26.72	76
		2016-17	40.00	14.11	25.89	65
		2017-18	50.00	34.58	15.42	31

परिशिष्ट 2.25

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (ix); पृष्ठ 65)

वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंत में व्यय के वेग के मामले

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		पिछले महीने व्यय
			राशि	कुल व्यय का प्रतिशत	
1	अन्य रखरखाव कार्य (2700-04-101-98)	2.30	2.25	98	2.25
2	ऊर्जा प्रभार (2701-08-800-98)	12.57	5.17	41	3.39
3	राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या में वाटर कोर्सिस की बहाली में सुधार (4700-13-789-99)	58.87	42.99	73	37.91
4	अन्य व्यय: पश्चिमी जमुना नहर (डब्ल्यू.जे.सी.) और जवाहर लाल नेहरू (जे.एल.एन.) प्रणाली की क्षमता में सुधार (4700-13-800-97)	16.57	16.57	100	14.41
5	राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या में वाटर कोर्सिस के निर्माण कार्य और बहाली में सुधार (4700-16-789-99)	14.94	7.73	52	6.03
6	राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिए आर.आई.डी.एफ. (नाबार्ड) के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों में सुधार (4701-07-789-99)	62.15	37.85	61	33.02
7	अन्य व्यय: जल निकाय - नहर का निर्माण (4701-23-800-98)	3.17	1.28	40	0.85
	<b>कुल</b>	<b>170.57</b>	<b>113.84</b>	<b>67</b>	<b>97.86</b>

## परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.2; पृष्ठ 68)

31 मार्च 2018 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
			मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि
1	उद्योग (2852)	2013-14	49	20.04	3	3.78	1	0 <sup>1</sup>	2	3.78
		2014-15	184	39.39	7	10.01	4	0.01	3	10.00
		2015-16	28	31.02	21	27.36	15	5.06	6	22.30
		2016-17	36	61.70	36	61.70	20	26.82	16	34.88
2	पशु पालन (2403)	2015-16	43	82.77	30	11.91	22	11.31	8	0.60
		2016-17	74	88.01	74	88.01	41	86.85	33	1.16
3	ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत (2810)	2016-17	9	1.41	9	1.41	2	0.63	7	0.78
4	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (2235)	2014-15	33	43.71	10	16.06	6	3.78	4	12.28
		2015-16	355	50.55	44	21.42	36	16.65	8	4.77
		2016-17	137	4.84	137	4.84	135	4.72	2	0.12
5	खेल एवं युवा सेवाएं (2204)	2015-16	130	124.02	84	44.15	15	11.37	69	32.78
		2016-17	56	90.69	56	90.69	5	8.02	51	82.67
6	सामान्य शिक्षा (2202)	2014-15	739	1,382.54	9	3.70	1	2.69	8	1.01
		2015-16	1,063	1,542.62	60	782.26	23	689.11	37	93.15
		2016-17	1332	1618.88	1332	1618.88	1265	1423.76	67	195.12
7	ग्रामीण विकास (2505 एवं 2515)	2009-10	68	366.26	10	18.90	9	8.05	1	10.85
		2010-11	48	267.83	13	51.58	4	8.75	9	42.83
		2011-12	442	808.23	104	302.25	42	119.53	62	182.72
		2012-13	401	961.88	142	326.50	79	154.44	63	172.06
		2013-14	410	1353.50	178	645.61	85	145.85	93	499.76
		2014-15	4036	1525.02	216	836.81	109	200.71	107	636.10
		2015-16	3893	1547.46	376	1254.63	185	560.05	191	694.58
		2016-17	4173	2481.74	4173	2481.74	3984	1124.19	189	1357.55
8	विशेष प्रोग्राम एवं ग्रामीण विकास (2501)	2014-15	79	52.04	2	8.34	0	0 <sup>1</sup>	2	8.34
		2015-16	103	64.19	63	54.00	37	45.83	26	8.17
		2016-17	87	69.16	87	69.16	36	10.94	51	58.22

<sup>1</sup> नगण्य राशि।

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
			मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि
9	शहरी विकास (2217)	2012-13	96	1,274.01	47	860.27	20	497.14	27	363.13
		2013-14	73	1,120.80	44	960.70	20	524.40	24	436.30
		2014-15	87	1,115.43	73	958.64	27	500.33	46	458.31
		2015-16	122	1,478.70	112	1,420.20	36	805.27	76	614.93
		2016-17	219	2,227.25	219	2,227.25	42	732.96	177	1,494.29
10	फसल पालन (2401)	2016-17	12	176.50	12	176.50	10	155.77	2	20.73
11	ग्रामीण एवं लघु उद्योग (2851)	2016-17	20	29.70	20	29.70	17	23.53	3	6.17
12	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान (3425)	2015-16	52	21.94	11	9.60	6	4.95	5	4.65
		2016-17	37	13.05	37	13.05	35	12.22	2	0.83
13	सूचना एवं प्रचार (2220)	2016-17	91	13.41	91	13.41	55	1.29	36	12.12
14	पारिस्थितिकी और पर्यावरण (3435)	2014-15	12	2.17	10	1.78	9	1.68	1	0.10
		2015-16	8	2.15	7	1.75	3	1.40	4	0.35
		2016-17	4	1.62	4	1.62	0	0	4	1.62
15	मृदा एवं जल संरक्षण (2402)	2015-16	5	0.57	5	0.57	0	0	5	0.57
		2016-17	2	0.59	2	0.59	0	0	2	0.59
16	नागर विमानन (3053)	2016-17	5	1.00	5	1.00	4	0.60	1	0.40
17	कला एवं संस्कृति (2205)	2015-16	7	3.51	6	3.34	2	0.03	4	3.31
		2016-17	4	10.00	4	10.00	0	0	4	10.00
18	कमांड एरिया डेवलपमेंट (2705)	2015-16	21	212.59	15	102.08	13	100.51	2	1.57
		2016-17	20	154.10	20	154.10	17	151.77	3	2.33
19	श्रम एवं रोजगार (2230)	2015-16	12	18.15	12	18.15	10	13.40	2	4.75
		2016-17	2	0.44	2	0.44	0	0	2	0.44
20	सिविल आपूर्ति (3456)	2015-16	28	8.22	26	3.08	0	0	26	3.08
		2016-17	3	149.08	3	149.08	0	0	3	149.08
21	चिकित्सा (2210)	2016-17	78	935.68	78	935.68	76	934.57	2	1.11
22	तकनीकी शिक्षा (2203)	2016-17	102	227.06	102	227.06	92	183.60	10	43.46
कुल			19,130	23,877.22	8,243	17,115.34	6,655	9,314.54	1,588	7,800.80



## परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3; पृष्ठ 69)

निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, के नाम दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
1.	सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालय एम.पी.एन. महाविद्यालय, मुलाना (अंबाला)	2011-12 2014-15 2015-16 2016-17	1.75 2.18 2.42 2.35
2.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, नेनोला अंबाला	2012-13 2013-14 2015-16 2016-17	1.16 1.00 1.21 1.03
3.	एस.एम.लुबाना खालसा कन्या महाविद्यालय, बराड़ा, अंबाला	2015-16 2016-17	2.17 2.09
4.	एम.एल.एन. महाविद्यालय, यमुनानगर	2015-16 2016-17	7.54 6.76
5.	महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय, जगाधरी	2014-15 2015-16 2016-17	1.80 2.10 1.72
6.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, पुंडरी (कैथल)	2013-14 2014-15 2015-16 2016-17	1.42 1.50 2.05 1.82
7.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय फतेहपुर पुंडरी (कैथल)	2013-14 2014-15 2015-16 2016-17	2.46 2.90 2.89 2.83
8.	बी.ए.आर. जनता महाविद्यालय, कौल, कैथल	2016-17	2.02
9.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, चीक, कैथल	2013-14 2015-16 2016-17	2.42 2.54 2.65
10.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, ढांड ढडवान, कैथल	2013-14 2014-15 2015-16 2016-17	2.51 2.52 3.18 2.54
11.	आर्य कन्या महाविद्यालय, शाहबाद, कुरूक्षेत्र	2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17	3.09 3.30 3.30 3.91 2.95
12.	आई.जी. नेशनल महाविद्यालय, लाडवा, कुरूक्षेत्र	2015-16 2016-17	2.83 2.53
13.	एम.एन. महाविद्यालय, शाहबाद, कुरूक्षेत्र	2016-17	2.01
14.	सी.एम.के. नेशनल कन्या महाविद्यालय, सिरसा	2013-14 2014-15 2015-16 2016-17	2.52 2.72 2.89 2.40

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
15.	डी.एन. महाविद्यालय, हिसार	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17	5.02 5.52 7.33 6.59 6.39 6.37 7.50 4.97
16.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, हांसी	2013-14 2014-15 2015-16 2016-17	1.15 1.58 1.50 1.08
17.	टी.आर. शिक्षा महाविद्यालय, सोनीपत	2014-15 2015-16 2016-17	0.57 0.85 0.75
18.	कन्या महाविद्यालय, खरखोदा (सोनीपत)	2012-13 2013-14 2015-16 2016-17	1.28 1.53 1.88 1.47
19.	गीता विद्या मंदिर के.एम.वी., सोनीपत	2015-16 2016-17	6.74 5.38
20.	अहीर महाविद्यालय, रेवाड़ी	2014-15 2015-16 2016-17	3.54 3.49 2.98
21.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, करनाल	2015-16 2016-17	2.42 2.45
22.	गुरू नानक खालसा महाविद्यालय, करनाल	2013-14 2015-16 2016-17	1.97 1.78 1.36
23.	दयाल सिंह महाविद्यालय, करनाल	2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17	5.38 6.41 6.22 6.95 6.23
24.	डा. गणेश दास डी.ए.वी. शिक्षा महाविद्यालय, करनाल	2014-15 2015-16 2016-17	0.46 1.31 0.01
25.	वाई.एम. डिग्री महाविद्यालय, नूंह	2014-15 2015-16 2016-17	1.72 1.91 0.99
26.	आर.एस.एल. शिक्षा महाविद्यालय, सिढरावाली गुरुग्राम	2016-17	1.29
27.	जी.जी.डी.एस.डी. महाविद्यालय, पलवल	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17	3.87 4.29 4.51 4.43 5.65 5.77 3.85
28.	सरस्वती महिला महाविद्यालय, पलवल	2015-16 2016-17	2.36 1.75
29.	डी.ए.वी. सैनटेनरी महाविद्यालय, फरीदाबाद	2010-11 2011-12 2012-13 2015-16 2016-17	3.07 2.77 2.79 3.47 2.63

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालय	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
30.	अग्रवाल महाविद्यालय, बल्लभगढ़, फरीदाबाद	2014-15 2015-16 2016-17	3.99 3.91 2.95
31.	गांधी आदर्श महाविद्यालय, समालखा, पानीपत	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17	0.86 1.04 0.52 0.72 1.03 1.64 0.28
32.	वैश्य कन्या महाविद्यालय, समालखा (पानीपत)	2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17	0.28 0.38 0.40 0.68 0.81 0.38 0.69 1.18 1.50 1.27 1.04
33.	सी.आर शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2015-16 2016-17	1.55 1.17
34.	वैश्य महाविद्यालय, रोहतक	2015-16 2016-17	5.48 3.61
35.	वैश्य कन्या महाविद्यालय, रोहतक	2014-15 2015-16 2016-17	3.39 4.28 2.84
36.	श्री एल.एन. हिंदू महाविद्यालय, रोहतक	2015-16 2016-17	2.08 1.88
37.	आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी	2015-16 2016-17	3.88 3.76
38.	एम.ए. महिला महाविद्यालय, झज्जर	2015-16 2016-17	2.89 2.19
39.	आर्य महाविद्यालय, पानीपत	2015-16 2016-17	4.96 4.01
40.	सी.आर. किसान महाविद्यालय, जींद	2015-16 2016-17	4.30 3.30
41.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, नरवाना	2016-17	1.11
42.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, साढौरा	2015-16 2016-17	2.08 1.73
43.	भगवान परशुराम महाविद्यालय, कुरूक्षेत्र	2014-15 2015-16 2016-17	3.51 4.10 3.35
44.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, पेहोवा	2015-16 2016-17	4.41 3.23
45.	आर.के.एस.डी. महाविद्यालय, कैथल	2015-16 2016-17	6.55 5.57
46.	गुरु हरि सिंह महाविद्यालय, जीवन नगर, सिरसा	2015-16 2016-17	1.29 1.20
47.	सी.आर.एम. जाट महाविद्यालय, हिसार	2014-15 2015-16 2016-17	5.66 6.46 5.29
48.	एफ.सी. महिला महाविद्यालय, हिसार	2016-17	3.10

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
	सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालय		
49.	वैश्य महाविद्यालय, भिवानी	2015-16	4.59
		2016-17	4.69
50.	निरंकारी बाबा गुरुबचन सिंह मैमोरियल महाविद्यालय, सोहाना	2014-15	2.26
		2015-16	2.03
		2016-17	1.53
51.	वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय, बहादुरगढ़	2014-15	1.37
		2015-16	1.57
		2016-17	0.94
52.	के.एल.पी. महाविद्यालय, रेवाड़ी	2014-15	6.39
		2015-16	7.66
		2016-17	5.58
53.	डी.ए.वी. कन्या महाविद्यालय, कोसली (रेवाड़ी)	2014-15	0.25
		2015-16	0.56
		2016-17	0.61
54.	अखिल भारतीय जाट हीरोज मैमोरियल महाविद्यालय, रोहतक	2014-15	9.30
		2015-16	11.54
		2016-17	10.38
55.	वैश्य शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2014-15	0.66
		2015-16	0.80
		2016-17	0.63
56.	एम.के. जाट कन्या महाविद्यालय, रोहतक	2014-15	3.15
		2015-16	3.86
		2016-17	3.28
57.	एस.डी. महाविद्यालय, अंबाला कैंट	2015-16	7.60
		2016-17	5.87
58.	एस.एन.आर.एल. जय राम कन्या महाविद्यालय, लोहर माजरा, कुरुक्षेत्र	2015-16	0.78
		2016-17	0.68
59.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, अंबाला शहर	2015-16	7.89
		2016-17	6.08
60.	सी.आर. शिक्षा महाविद्यालय, हिसार	2014-15	1.61
		2015-16	1.60
		2016-17	1.21
61.	डी.ए.वी. कन्या महाविद्यालय, यमुनानगर	2016-17	4.16
62.	जी.बी. शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2014-15	0.96
		2015-16	1.21
		2016-17	0.63
63.	हिन्दू कन्या महाविद्यालय, जगाधरी, यमुनानगर	2015-16	3.73
		2016-17	2.46
64.	जे.वी.एम. जी.आर.आर. महाविद्यालय, चरखी दादरी	2015-16	4.64
		2016-17	3.97
65.	एम.डी.एस.डी. महाविद्यालय, अंबाला शहर	2015-16	2.58
		2016-17	2.23
66.	एम.एल.आर. सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, चरखी दादरी	2015-16	0.86
67.	आर.बी.एस. शिक्षा महाविद्यालय, रेवाड़ी	2015-16	0.44
		2016-17	0.42
68.	एस.एल.डी.ए.वी. शिक्षा महाविद्यालय, अंबाला शहर	2015-16	1.66
		2016-17	1.55
69.	एस.ए. जैन महाविद्यालय, अंबाला शहर	2016-17	4.85
70.	एम.पी.एन. महाविद्यालय, मुलाना (अंबाला)	2016-17	2.35

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
	सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालय		
71.	के.वी.ए. डी.ए.वी. महिला महाविद्यालय, करनाल	2016-17	3.44
72.	आई.बी. महाविद्यालय, पानीपत	2016-17	3.66
73.	हिंदू कन्या महाविद्यालय, जींद	2016-17	2.08
74.	एम.एल.एन. महाविद्यालय, रादौर	2016-17	1.27
75.	आई.जी. महाविद्यालय, कैथल	2016-17	1.13
76.	एम.पी. कन्या महाविद्यालय, डबवाली	2016-17	1.87
77.	बी.एस.के. शिक्षा महाविद्यालय, मंडी डबवाली (सिरसा)	2016-17	0.58
78.	सी.आर.ए. महाविद्यालय, सोनीपत	2016-17	3.47
79.	हिंदू महाविद्यालय, सोनीपत	2016-17	5.21
80.	हिंदू कन्या महाविद्यालय, सोनीपत	2016-17	5.56
81.	टी.आर. कन्या महाविद्यालय, सोनीपत	2016-17	1.59
82.	बी.एल.जे. सूईवाला महाविद्यालय, तोशाम	2016-17	1.80
83.	महिला महाविद्यालय, झोझु कलां	2016-17	0.73
84.	एस.पी. शिक्षा महाविद्यालय, रेवाड़ी	2016-17	0.85
85.	आर.डी.एस. पब्लिक कन्या महाविद्यालय, रेवाड़ी	2016-17	2.58
		कुल	626.74

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4; पृष्ठ 69)

स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतिकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (30 जून 2018 तक)
1.	हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, पंचकुला	2012-13 से 2016-17 तथा 2017-18 से 2021-22	2015-16	2014-15	2011-12	2016-17	एक वर्ष
2.	हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	2013-14 से 2017-18 तथा 2018-19 से 2022-23	2016-17	2016-17	2008-09	--	--
3.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.एस.वी.पी.), पंचकुला	2012-13 से 2016-17 तथा 2017-18 से 2021-22	2015-16	2015-16	2012-13	2016-17	एक वर्ष
4.	हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड, पंचकुला	2014-15 से 2018-19	2016-17	2016-17	2013-14	--	--
5.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकुला	2015-16 से 2019-20	2016-17	2015-16	2014-15	--	--
6.	हरियाणा वक्फ बोर्ड, अंबाला छावनी	2013-14 से 2017-18	2016-17	2015-16	प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं	--	--
7.	हरियाणा राज्य कानून सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2015-16	2015-16	2013-14	2016-17	एक वर्ष
8.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, भिवानी	-सम-	2016-17	2016-17	1996-97	--	--
9.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फरीदाबाद	-सम-	2016-17	2016-17	1996-97	--	--
10.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फतेहाबाद	-सम-	2015-16	2015-16	1996-97	2016-17	एक वर्ष

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय हैं	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (30 जून 2018 तक)
11.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2015-16	2015-16	1996-97	2016-17	एक वर्ष
12.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, झज्जर	-सम-	2016-17*	-	2011-12	-	2
13.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कैथल	-सम-	2014-15	2014-15	1996-97	2015-16 से 2016-17	दो वर्ष
14.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पंचकुला	-सम-	2015-16	2014-15	1999-2000	2016-17	एक वर्ष
15.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पानीपत	-सम-	2016-17	2010-11	1996-97	-	-
16.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रेवाड़ी	-सम-	2015-16	2015-16	1996-97	2016-17	एक वर्ष
17.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रोहतक	-सम-	2016-17	2016-17	1996-97	-	-
18.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सोनीपत	-सम-	2015-16	2015-16	1996-97	2016-17	एक वर्ष
19.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, यमुनानगर	-सम-	2015-16	2014-15	1996-97	2016-17	एक वर्ष
20.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, हिसार	-सम-	2015-16	2015-16	1996-97	2016-17	एक वर्ष

<sup>2</sup> निकाय द्वारा वर्ष 1996-97 से 2010-11 तक के वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखाओं की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय हैं	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (30 जून 2018 तक)
21.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, नारनौल	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2016-17	2016-17	1996-97	--	--
22.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सिरसा	-सम-	2013-14	2013-14	1996-97	2014-15 से 2016-17	तीन वर्ष
23.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, अंबाला	-सम-	2016-17	2015-16	1996-97	--	--
24.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, जींद	-सम-	2014-15	2014-15	1996-97	2015-16 एवं 2016-17	दो वर्ष
25.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, करनाल	-सम-	2016-17	2014-15	1996-97	--	--
26.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कुरुक्षेत्र	-सम-	2016-17	2016-17	1996-97	--	--
27.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, मेवात	-सम-	2014-15	2014-15	2009-10	2015-16 एवं 2016-17	दो वर्ष
28.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पलवल	-सम-	2016-17	2014-15	2012-13	--	--
29.	हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	-सम-	2016-17	2015-16	2008-09	--	--
30.	हरियाणा बिजली नियामक आयोग	-सम-	2016-17	2016-17	2015-16	--	--



## परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 70)

विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमकरण एवं सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	विभाग	विभाग के अधीन उपक्रम/स्कीमों के नाम	तक लेखे अन्तिमकृत किए गए	पिछले अन्तिमकृत लेखाओं के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में)	लेखाओं को तैयार करने में विलम्ब हेतु टिप्पणियां/कारण
1.	कृषि	बीज डिपो स्कीम <sup>3</sup>	1988-89	-	1988-89 के पश्चात् कोई लेखे तैयार नहीं किए गए हैं।
2.	कृषि	पीडकनाशियों का क्रय एवं वितरण	1986-87	0.82	विभाग द्वारा 1986-87 के पश्चात् पीडकनाशी/ खरपतवारनाशक का कोई क्रय नहीं किया गया था।
3.	मुद्रण एवं स्टेशनरी	राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम	2007-08	17.97	-
4.	खाद्य एवं आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले	अनाज आपूर्ति स्कीम	2015-16	6,908.27	-
5.	परिवहन	हरियाणा रोडवेज	2011-12	855.22	स्टॉफ की कमी के कारण विलम्ब हुआ
कुल				7,782.28	

<sup>3</sup> ये स्कीमें 1986-87 (कीटनाशिकों का क्रय एवं वितरण) तथा 1984-85 (बीज डिपो स्कीम) से बंद हैं।

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.6; पृष्ठ 70)

दुरुपयोग, गबन इत्यादि, जहां अन्तिम कार्रवाई 30 जून 2018 को लम्बित थी, के मामलों का विभाग-वार/अवधि-वार विघटन

(कोष्ठक में आंकड़े इंगित करते हैं ₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	5 वर्षों तक	5 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष तक	20 से 25 वर्ष तक	25 वर्ष तथा अधिक	कुल
1	विकास एवं पंचायत	-	1 (0.00)*	1 (6.50)	-	-	-	2 (6.50)
2	शिक्षा	9 (25.02)	1 (0.50)	4 (1.20)	-	-	3 (2.05)	17 (28.77)
3	चिकित्सा	2 (0)*	-	-	-	-	-	2 (0)*
4	तकनीकी शिक्षा	-	-	-	1 (6.52)	-	-	1 (6.52)
5	पुलिस	-	-	1 (3.79)	-	-	-	1 (3.79)
6	समाज कल्याण विभाग	3 (8.63)	-	-	-	-	-	3 (8.63)
7	परिवहन	-	-	-	1 (3.17)	-	1 (0.60)	2 (3.77)
8	नगर एवं ग्राम आयोजना	1 (1.44)	-	-	-	-	-	1 (1.44)
9	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान	1 (3.00)	-	-	-	-	-	1 (3.00)
10	हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	3 (1.17)	-	-	-	-	-	3 (1.17)
11	खजाना एवं लेखा	1 (6.27)	-	-	-	-	-	1 (6.27)
12	आर्थिक और सांख्यिकीय	2 (0.03)	-	-	-	-	-	2 (0.03)
13	श्रम एवं रोजगार	2 (0.15)	-	-	-	-	-	2 (0.15)
14	महिला एवं बाल विकास	1 (0)*	-	-	-	-	-	1 (0)*
15	खेल एवं युवा कल्याण	1 (39.58)	-	-	-	-	-	1 (39.58)
16	जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग	1 (1.61)	2 (16.11)	-	-	-	-	3 (17.72)
17	सिंचाई एवं जल संसाधन	-	3 (0.00)*	8 (5.62)	3 (0.24)	3 (0.00)*	10 (1.07)	27 (6.93)
18	लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)	1 (0.00)*	-	-	-	-	-	1 (0.00)*
	<b>कुल</b>	<b>28 (86.90)</b>	<b>7 (16.61)</b>	<b>14 (17.11)</b>	<b>5 (9.93)</b>	<b>3 (शून्य)</b>	<b>14 (3.72)</b>	<b>71 (134.27)</b>

अर्थात् ₹ 1.34 करोड़

\* शून्य मूल्य उन मामलों में दिया गया है जहां राशि उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी।

## परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.6; पृष्ठ 70)

सरकारी सामग्री की चोरी तथा दुरुपयोग/हानि के मामलों के विभाग/श्रेणीवार ब्यौरे

(₹ लाख में)

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकारी सामग्री का दुरुपयोग/हानि		योग	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
विकास एवं पंचायत	2	6.50	0	0	2	6.50
शिक्षा	14	27.38	3	1.39	17	28.77
चिकित्सा	2	0	0	0	2	0
तकनीकी शिक्षा	1	6.52	0	0	1	6.52
पुलिस	0	0	1	3.79	1	3.79
समाज कल्याण	3	8.63	0	0	3	8.63
परिवहन विभाग	0	0	2	3.77	2	3.77
नगर एवं ग्राम आयोजना	0	0	1	1.44	1	1.44
चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान	1	3.00	0	0	1	3.00
कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	3	1.17	0	0	3	1.17
खजाना एवं लेखा	0	0	1	6.27	1	6.27
आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण	1	0.03	1	0	2	0.03
श्रम एवं रोजगार	2	0.15	0	0	2	0.15
महिला एवं बाल विकास	1	0	0	0	1	0
खेल एवं युवा कल्याण	1	39.58	0	0	1	39.58
जन स्वास्थ्य	2	9.61	1	8.11	3	17.72
सिंचाई	22	6.61	5	0.32	27	6.93
लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)	0	0	1	0	1	0
<b>कुल</b>	<b>55</b>	<b>109.18</b>	<b>16</b>	<b>25.09</b>	<b>71</b>	<b>134.27</b>

अर्थात् ₹ 1.34 करोड़